मुक्ति संघर्ष

साप्ताहिक

वर्ष: 43 अंक: 29 नई दिल्ली (कुल पेज 16) 16 – 22 जुलाई 2023 मूल्य 7 रुपये

अंदर के पेजों में

इजरायली हथियारों की प्रयोगशाला फिलिस्तीन.....3

ईमानदारी और नैतिकताओं की लंबी लकीर खींचने वाले कामरेड ऊदल...5

धरती से फूटेगी मेहनत, फाका कश इंसानों की.....13

समान नागरिक संहिता के पीछे भाजपा–आरएसएस का कुटिल इरादा

डी. राजा

लगभग एक सदी पहले, 1927 में लगभग तीन हजार महिलाओं की सभा को संबोधित करते हुए डॉ. अम्बेडकर ने कहा कि ''मैं किसी समुदाय की प्रगति को इससे आंकता हूं कि उसमें महिलाओं ने किस हद तक प्रगति की है''। डॉ. अम्बेडकर का यह बयान आज भी किसी समाज की प्रगति को आंकने का एक अच्छा पैमाना है। हाल में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ''भारतीय मुस्लिम बहनों एवं बेटियों'' से एक उत्कट अपील की कि वे भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करें। उन्होंने दावा किया कि यह एक ऐसी पार्टी है जिसने तीन तलाक के रिवाज को खत्म कर मुस्लिम महिलाओं को लिंग न्याय प्रदान किया है। उसी लहजे में उन्होंने यह कहते हुए कि एक परिवार में दो कानून नहीं हो सकते, समूचे देश के लिए एक समान नागरिक संहिता लाने के मामले को आगे बढ़ाया है। मोदी राज में अल्पसंख्यकों के साथ खुलेआम भेदभाव की रिपोर्टें आती रहती हैं और भाजपा के अनेक सदस्यों ने फूटपरस्त बयान दिए हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री ने अल्पसंख्यकों, विशेषकर अल्पसंख्यक महिलाओं के संबंध में जो चिंता व्यक्त की है वह आश्चर्यजनक है। वह आरएसएस इको सिस्टम को भी कह सकते थे कि वह अल्पसंख्यकों के प्रति सुनियोजित तरीके से नफरत फैलाना बंद करे। भोपाल में उन्होंने जो जबर्दस्त लफ्फाजी की उससे समान नागरिक संहिता, व्यक्तिगत कानून (पर्सनल लॉ) और लिंग न्याय के संबंध में अनेक प्रश्न उठते हैं।

समान नागरिक संहिता 1989 से ही भाजपा के सभी चुनाव घोषणापत्रों का एक हिस्सा रही है। 1984 के चुनाव में जब भाजपा बुरी तरह पराजित हो गई तो उन्होंने नरमी/मध्यम मार्ग के तमाम तरीकों का परित्याग कर ध्रुवीकरण और चुनावी फायदों के लिए आक्रामक हिन्दुत्व नीति पर चलना शुरू कर दिया। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भाजपा के हमले ने समाज में दरारें डाल दी और देश भर में दंगों को हवा दी। लगभग उसी समय समान नागरिक संहिता भी फूटपरस्ती का एक हथियार बन गई। 1989 के घोषणा पत्र में जब भाजपा ने ''समान नागरिक संहिता के लिए एक मतैक्य बनाने के दृष्टिकोण से एक ड्राफ्ट तैयार करने'' का वायदा किया तो उसमें लिंग न्याय के संबंध में कोई उल्लेख नहीं था। यह कोई संयोग की बात नहीं है कि समान नागरिक संहिता भाजपा के फूट डालो और राज करो के शब्दकोश में उसी समय दाखिल हुई जब उन्होंने संवैधानिक नैतिकता के दिखावे का भी परित्याग कर दिया और राजनीतिक ताकत पाने के लिए अल्पसंख्यकों के खिलाफ खुलेआम अनर्गल एवं अपमानकारी बर्ताव का रास्ता अपना लिया। उन्हें विदेशी बताने लगे, उनकी राष्ट्र के प्रति उनकी निष्ठा के संबंध में सवाल उठाने शुरू कर दिए। इस सबका मकसद धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण करना रहा है। भाजपा और समान नागरिक संहिता का इतिहास लिंग न्याय के प्रति निर्दिष्ट नहीं है बल्कि इसका उद्देश्य अल्पसंख्यकों के प्रति नफरत को हवा देना रहा है। जब प्रधानमंत्री ''मुस्लिम बहनों और बेटियों'' को एक संत जैसी सलाह देते हैं तो यह इतिहास उसके पीछे के प्रधानमंत्री के इरादे पर प्रश्नचिन्ह लगाता हैं।

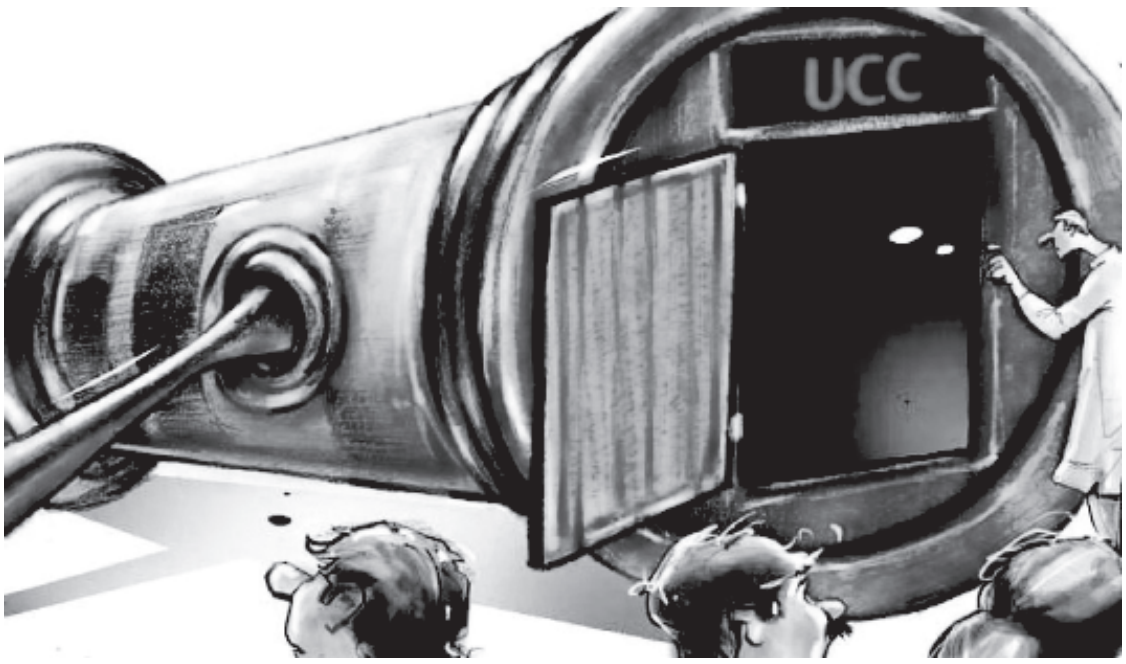

लिंग न्याय और आरएसएस इको–सिस्टम की बात करें तो मुश्किल से ही कोई समय रहा होगा जब उन्होंने हमारे देश की महिलाओं के फायदे पर लक्षित किसी प्रगतिशील कदम का समर्थन किया हो। डॉ. अम्बेडकर ने हिन्दू कानूनों का संहिताकरण करने, महिलाओं को समानता, माता–पिता की संपत्ति में अधिकार और हर तरीके से पुरूषों के साथ समानता दिलाने के लिए कड़ी मेहनत की। आरएसएस इको–सिस्टम ने सुधारों का विरोध किया और अपने प्रतिगामी विश्वासों पर डटा रहा कि महिलाओं को अधिकार एवं प्रतिनिधित्व देने से परिवार टूट जाएगा; उसने हिन्दू कोड बिल की तुलना ''एटम बम'' और नृशंसतापूर्ण रौलट एक्ट कानून से की। स्वामी करपात्री महाराज ने हिन्दू कोड बिल को डॉ. अम्बेडकर की जाति से जोड़ दिया और कहा कि उन जैसे छूत व्यक्ति की कानून बनाने में कोई जगह नहीं। उनके लिए कानून के लिए एकमात्र आथारिटी व धर्मशास्त्र और धार्मिक ग्रंथ रहे जिनमें महिलाओं के साथ भेदभाव किया गया। भारतीय जनसंघ के सदस्यों ने संसद के अंदर और आरएसएस के लोगों ने सड़कों पर उतर कर लिंग न्याय की खुलेआम खिलाफत की। परिवार का उनका विचार सदस्यों के बीच समानता का नहीं बल्कि कठोर पितृसत्तात्मक अनुक्रम का था जिसमें महिलाओं का काम केवल इतना है कि पिता, पति और बेटे की सेवा करें। सामाजिक सुधारों एवं लिंग न्याय के विरोध के इस प्रकार के आपत्तिजनक इतिहास के बाद आज आरएसएस के लोग यदि अल्पसंख्यकों को लिंग न्याय की बातें करें तो उससे हैरानी ही होती है। जैसे कि अनेक समालोचकों ने कहा है समान नागरिक संहिता के लिए प्रधानमंत्री का जोर 2024 के आम चुनावों के संदर्भ में है। उनकी अपील न तो मुस्लिम महिलाओं के लिए है और न लिंग न्याय के लिए। यह एकमात्र हिन्दू पुरूषों के लिए है जिसमें देना कुछ नहीं है परंतु अल्पसंख्यकों से कुछ छीनने का वायदा है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि आरएसएस एक ऐसा परपीड़क हिन्दू समाज बनाने की कोशिश कर रहा है जो यह देखकर खुशी महसूस करे कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों को छीना जा रहा है जबकि इस समुदाय के अपने स्वयं के सदस्य बेरोजगारी, असमानता और महंगाई के शिकार हो रहे हैं। समान नागरिक संहिता पर जो हल्ला किया जा रहा है वह पिछले नौ सालों के दौरान इस सरकार के शासन–प्रशासन की जबर्दस्त विफलताओं से ध्यान हटाने की कोशिश है। नोटबंदी से लेकर इस समय जलते हुए मणिपुर राज्य समेत इस सरकार के शासन–प्रशासन की विफलता के अनेकानेक उदाहरण हैं। जो समुदाय समान नागरिक संहिता से सर्वाधिक प्रभावित होंगे वह आदिवासी हैं और उन्होंने भाजपा की इस कोशिश के प्रति अपना विरोध दर्ज करा दिया है। सुशील मोदी जैसे भाजपा के कुछ नेताओं ने कहा है कि उत्तर–पूर्व के राज्यों और आदिवासियों को समान नागरिक संहिता से छूट दे दी जाए। इससे स्पष्ट संकेत मिलता है कि प्रस्तावित कानून केवल मुस्लिमों, ईसाईयों एवं पारसियों तक सीमित है। आदिवासी महिलाओं को लिंग न्याय की पेशकश नहीं की जा रही है जो एक अन्य सबूत है कि प्रधानमंत्री मोदी की समान नागरिक संहिता का लिंग न्याय से कोई लेना–देना नहीं; इसका संबंध 2024 के आम चुनावों से पहले ध्रुवीकरण से है। विपक्ष की एकता ने भाजपा खेमे को बेचैन कर दिया है और वह चुनावी फायदे के लिए समाज में दरारें डालने की हताश–निराश एवं शर्मनाक कोशिश में लगा है।

प्रधानमंत्री ने समान नागरिक संहिता के संबंध में उसके संदेहों के बारे में गलत व्याख्या कर विपक्ष को बुरा–भला कहने की कोशिश भी की। मुस्लिम पुरूष जिन व्यक्तिगत कानूनों का उपयोग कर रहे हैं उनके संबंध में दुष्प्रचार कर प्रधानमंत्री ने यह कहने की कोशिश की कि जो पार्टियां अल्पसंख्यक अधिकारों का समर्थन करती हैं उनसे सवाल पूछे जाने चाहिएं। प्रधानमंत्री ने यह कहने की कोशिश की है जो लोग समान नागरिक संहिता का समर्थन करते हैं वे सब लोग मुस्लिम पुरूषों के विशेषाधिकारों के समर्थक हैं और इस प्रकार वह हिन्दू विरोधी भी हैं। समान नागरिक संहिता अत्यंत नाजुक विषय है और इसे ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखने की जरूरत है। जब

शेष पेज 15 पर...

अमृतकाल से कर्तव्यकाल की यात्रा

संपादकीय

आज हमारे सामने सिर्फ एक ऊंची दीवार खड़ी है, जिसके पीछे कुछ भी नहीं दीखता, न ही उसके बाद के किसी भविष्य का अहसास होता है। अभिव्यक्ति की आज़ादी का दम घुट गया है और सिर्फ तारीफ की आज़ादी बच गई है। कोई भी आलोचना दंडनीय है। आज़ादी के बाद के सालों में हमारी ज़िन्दगी, अपने संविधान के साये में, चाहे जैसी भी थी, नापसंद है सिरे से हमारे देश की सत्ता को संभालने वालों को। उन्हें नापसंद है हमारा जनवादी, सार्वभौम, धर्मनिरपेक्ष संविधान जिसकी बुनियाद है देश और देश की जनता के प्रति प्रतिबद्धता। हमारी व्यवस्था इसमें असंगति पाती है, इसलिये संविधान के बुनियादी सिद्धांतों में ही संशोधन की कोशिश है।

संशोधन को युक्तिसंगत बताने के लिये पहले बुनियादी अधिकारों को ही अनावश्यक माना गया और उन्हें ख़ारिज करने का सुझाव आया। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में ही एक बार कहा था, ''अधिकारों की बात करें तो इनके लिये संघर्ष करना समय नष्ट करना ही है।'' फिर बात को संभालते हुए उन्होंने कहा कि कुछ विशेष परिस्थितियों में अधिकार के लिये संघर्ष उचित हो सकता है, लेकिन अपने देश में कर्तव्य को पूरी तरह भुलाकर अधिकारों की लड़ाई से भारत कमज़ोर होता जा रहा है।'' फिर इसमें आगे कहा गया कि अगर हम वास्तव में देश की प्रगति देखना चाहते हैं तो कर्तव्य पथ को ही प्राथमिकता देनी चाहिए।

आपातकाल में दस बुनियादी कर्तव्य तय किये गए थे। यह बयालीसवां संशोधन संविधान की (1976) प्रस्तावना का था, जिसमें ''सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष'' जोड़ा गया और ''देश की एकता'' की जगह पूरे राष्ट्र की एकता को जोड़ा गया। यह जून 25,1975 से 1977 तक चले आपातकाल की देन थी। दस कर्तव्यों के बाद ग्यारहवां जोड़ा गया था। 2002 के अटलबिहारी बाजपेयी की सरकार के नेतृत्व में ये सभी कर्तव्य लाए गए ताकि देश की जनता अपना समय बर्बाद न करे। बुनियादी अधिकारों के लिये संघर्ष न करे। बुनियादी कर्तव्यों के संदर्भ में प्रधानमंत्री भी अपवाद नहीं है। एक नागरिक और जनवादी व्यवस्था के प्रमुख होने की हैसियत से उनके अपने कर्तव्य भी हैं। संविधान के अनुसार सबको इसके आदर्शों, संगठन की बुनियाद, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगीत का सम्मान करना चाहिये। कहा गया है कि भारत में बुनियादी अधिकारों के लिये लड़ने के क्रम में देश ही कमज़ोर पड़ गया है, लेकिन संविधान की प्रस्तावना में ही जो तीन मौलिक अधिकार दिये गए हैं, वे हैं न्याय, आज़ादी और समानता। किसी भी लोकतंत्र को सजीव रखने के लिये ये तीनों अधिकार आवश्यक हैं। इन्हें समय की बर्बादी मान लेने का अर्थ अधिकारों का हनन है। पिछले नौ सालों में संघीय ढांचे का, धर्मनिरपेक्षता का, सामाजिक न्याय का, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मनमाना उल्लंघन हुआ है, गिरफ्तारियां भी हुई है। राष्ट्रीय ध्वज को मॉब लिचिंग के अपराधी के शव को भाजपा के झंडे के साथ लपेटने में व्यवहार में लाया गया था। हमारे प्रधानमंत्री के स्वागत में मॉस्को में जब राष्ट्रीय गीत बज रहा था, मौन विश्राम में खड़े रहने के बजाय प्रधानमंत्री जब चल पड़े तो वहां मौजूद रुसी अधिकारियों को उन्हें रोकना पड़ा। आज़ादी के लिये लड़ते हुए शहीद होने वाले वीरों की सूची में से 387 मोपला वीरों का नाम डिक्शनरी ऑफ मार्टियर्स इन इंडियाज़ स्ट्रग्ल, 1857–1947 से हटा लिया गया।

जलियांवाला बाग़ स्मृति स्मारक, जो ब्रिटिश शासकों द्वारा 1919 के पाशविक हत्याकांड में मृत शहीदों की याद में, पुनर्निर्मित किया गया था, और जिसका उद्घटन स्वयं प्रधानमंत्री ने किया था, उसकी ऐतिहासिकता को ही बर्बाद कर दिया गया।

अगस्त, 2019 में धारा 370 को और पूर्व के जम्मू और कश्मीर के राज्य को जो विशेष स्थान मिला था, इन दोनों को एक साथ ख़त्म कर दिया गया। इस तरह इस पूरे क्षेत्र को केंद्र की सरकार ने अपने हाथों में ले लिया। लॉक डाउन और संचार की भी साथ ही तालाबंदी ने पूरे राज्य की जनता को मज़बूर कर दिया, जिसकी सेवा के लिये ही लोकतंत्र का निर्माण होता है। एकता और साथ ही संघीय ढांचे को कुचलने की हर कोशिश जारी है साथ ही राज्य के अधिकार भी समाप्त कर दिये गए हैं।

हम सबने अपनी वीरता को तो हर तरह से कायम करने की कोशिश की है, लेकिन अपने ही ढेरों वक्तव्यों को, चीन के आक्रमण, उसकी अनधिकार चेष्टा और क्रूरता के संबंध में दिये गए थे, इन सबको नकारते हुए, चीन की सैन्यवाहिनी ने भारतीय क्षेत्रों में आकर उन पर कब्जा करने की कोशिश की और कर भी लिया, इसे भी अस्वीकार कर दिया गया। यह जनता के लिये एक अद्भुत अनुभव तो था ही, भविष्य के संकेत भी इनमें निहित थे।

इन्हीं दिनों कोविड भी अपनी पूरी भयानकता के साथ आया। इस महामारी को एक ''युद्ध'' की संज्ञा देकर छुट्टी कर ली गई। तालाबंदी या लॉकडाउन की स्थिति में जनता की अपरिसीम कष्टों की स्थिति की कोई ज़िम्मेदारी भी नहीं ली गई, बदले में इसमें सांप्रदायिकता को ही बढ़ावा दिया गया। स्थिति से निबटने के लिये न कोई योजना आई, न ही चिकित्सा की वृहद् स्तर पर व्यवस्था की गई। परिणाम था इस 'युद्ध'' में हज़ारों की संख्या में मृत्यु, जिसे रोका जा सकता था। समस्या और भी गंभीर तब हुई जब सरकार के एक नहीं, चार मंत्रियों द्वारा निदान नहीं हो सका। वे न सहयोग कर सके जनता से, और न ही उनके कष्टों से उबरने की समस्या को सुलझा सके।

इन सबके अतिरिक्त देश की एकता कायम रखने के बजाय अल्पसंख्यकों के विरूद्ध हमला, हिंसा, अलगाव की घटनाएं भी आम हो चुकी हैं, और इन सब पर सिर्फ चुप्पी है।

हमारी विविधता पर चोट का एक और उदाहरण अब हमारे सामने है, और वह है हर राज्य की भाषाओं को कुचलते हुए ''हिन्दी'' को ही एकमात्र भाषा बनाने की कोशिश।

सरकारी संस्थानों के लिये हमारी मिश्रित संस्कृति भी एक चुनौती है, जिसे आसानी से ख़त्म नहीं किया जा सकता। कोशिश तो पूरी निष्ठुरता के साथ चल ही रही है, जिसमें सबसे प्रमुख है इतिहास की कतर ब्योंत। टुकड़ों में ही इसे रखने की हर कोशिश चल रही है। वैज्ञानिकता को ताक पर रख कर पूरी अनेकता को ख़त्म कर ज़बरन एकता की कोशिश चल रही है, जिसमें मुस्लिमों के ऐतिहासिक अवदानों को, उनकी स्थापत्य कला के अप्रतिम सौन्दर्य, जिनमें ताजमहल भी है, इन सबको हिन्दुओं की दासता से जोड़ा गया है। ये भी संकेत हैं अधिनायकवाद के, जो क्रमशः हमारे जनजीवन में प्रवेश कर रहा है पूरी भयानकता के साथ।

मणिपुर फैक्ट फाइंडिंग टीम पर हुई एफआईआर वापस लो

नई दिल्ली: एनएफआईडब्ल्यू दिल्ली राज्य की अध्यक्ष अरूणा सिन्हा और महासचिव दीप्ती भारती ने संयुक्त बयान जारी करते हुए भारतीय महिला फेडरेशन की राष्ट्रीय महासचिव साथी एनी राजा, राष्ट्रीय सचिव निशा सिद्धू और एडवोकेट दीक्षा द्विवेदी एक फैक्ट फाइंडिंग टीम के रूप में मणिपुर दौरे पर की गयी टीम पर एफआईआर की कड़ी भर्त्सना की। इस टीम ने राज्य पुलिस की 3 मई से अब तक की निष्क्रियता और चुप्पी के बाद वहां जाकर सच्चाई जानने का फैसला लिया।

यह दल 28 जून से 1 जुलाई तक मणिपुर के विभिन्न शैल्टर होमों में रह रहे शरणार्थियों और दोनों समुदाय के लोगों से मिला। वहाँ लंबे समय से हिंसा और तनाव का माहौल है। इतने दिन तक राज्य व केंद्र ने शांति बहाल करने के लिए कुछ नहीं किया। भारतीय महिला फेडरेशन की अन्य राज्यों की तरह मणिपुर में भी इकाई है तो अपने साथियों का हालचाल जानना और सरकार की अकर्मण्यता की जानकारी सामने लाना अपराध कैसे हो गया? मणिपुर हमारे देश का ही हिस्सा है, वहाँ जाने पर पाबंदी है क्या?

यह दिखाई दे रहा है कि सरकार येन केन प्रकारेण हर उस आवाज को दबा देना चाहती है जो उसकी नाकामी और बर्बरता को सामने लाने की कोशिश भी करे। एक तरफ ये राज्य और केन्द्र सरकार एक–एक कर राज्यों को भेदभाव और सामुदायिक, सांप्रदायिक हिंसा में झोंक कर उनको तमाम मौलिक और संवैधानिक अधिकारों से वंचित कर तबाह कर रही है और किसी को उनके इरादों को बाहर लाने का भी अधिकार नहीं। पूरा देश धीरे–धीरे एक जेल में बदल देने और सरकारी पुलिस का नागरिकों की आवाज कुचलने का अधिकार केंद्र और राज्य सरकारों को है, वहीं जान हथेली पर ले कर आम जनता के सामने सच्चाई लाने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाती है। भारतीय महिला फेडरेशन की दिल्ली इकाई इन साथियों की बहादुरी पर उन्हें बधाई और धन्यवाद देती है वहीं उनके खिलाफ दर्ज हुई इस बेबुनियाद और वाहियात एफआईआर को तुरंत वापस लेने की मांग सरकार से करती है। इस से पुनः सिद्ध हो जाता है कि सरकारी कामकाजों में जो असंवेदनशीलता और असंवैधानिक झोल हैं उन्हें वह सामने आने देना नहीं चाहती। एक बार फिर स्पष्ट और कड़े शब्दों में हम इस एफआईआर को तुरंत रद्द किए जाने की मांग करते हैं। वर्ना सरकार एक देशव्यापी आंदोलन का सामना करने को तैयार रहे।

एनी राजा और एनएफआईडब्ल्यू की फैक्ट फाइंडिंग टीम के खिलाफ एफआईआर पर भाकपा की निंदा

नई दिल्ली: भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय सचिवमंडल ने 11 जुलाई को निम्नलिखित बयान जारी किया:

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एनएफआईडब्ल्यू की महासचिव और भाकपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य एनी राजा, एनएफआईडब्ल्यू की राष्ट्रीय सचिव और राजस्थान में भाकपा की नेता निशा सिद्धू और स्वतंत्र वकील दीक्षा द्विवेदी, जो इसका हिस्सा थीं, के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर की कड़ी निंदा करती है। एनएफआईडब्ल्यू ने मणिपुर में फैक्ट फाइंडिंग टीम का नेतृत्व किया। 8 जुलाई 2023 को इंफाल में दर्ज की गई एफआईआर स्पष्ट रूप से बदले की भावना से और दुर्भावनापूर्ण है, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। प्रतिष्ठित महिला नेताओं के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही का आह्वान 'डबल इंजन सरकार' के स्थानीय घटक द्वारा सत्ता के दुरुपयोग का एक साफ मामला है। भाकपा का मत है कि फैक्ट फाइंडिंग की लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अपराधिकरण करना संवैधानिक लोकाचार पर हमला है। भाजपा की डबल इंजन सरकार इस देश के नागरिकों के प्रति पारदर्शिता और जवाबदेही के सभी तरीकों से बचने के लिए उतारू दिखती है।

भाकपा आदिवासी छात्र संगठनों और उनके पदाधिकारियों, अधिकार कार्यकर्ताओं और हैदराबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर खाम खान सुआन हाउजिंग जैसे बुद्धिजीवियों के खिलाफ विभिन्न अन्य दुर्भावनापूर्ण एफआईआर की भी निंदा करती है। सत्तारूढ़ सरकार असहमति, आलोचना, संवाद और यहां तक कि बोलने के अधिकार को कुचलने का प्रयास करके अपने फासीवादी अभियान पर कायम है। अब लगभग तीन महीनों से, मणिपुर राज्य जीवन और संपत्ति की अभूतपूर्व क्षति के साथ गंभीर संकट और अस्थिरता से गुजर रहा है। जबकि वर्तमान स्थिति में कई कारक भूमिका निभा रहे हैं जो हिंसा को बढ़ा रहे हैं, सबसे स्पष्ट और अस्वीकार्य राज्य की पूर्ण उदासीनता और निष्क्रियता है। प्रधानमंत्री की चुप्पी और मौजूदा मुख्यमंत्री की अक्षमता सभी संवैधानिक मूल्यों के विपरीत है। वर्तमान संकट में सरकारों की कार्रवाई और निष्क्रियता आरएसएस–भाजपा गठबंधन के कारपोरेट समर्थक एजेंडे को प्रदर्शित करती है। गुजरात के अनुभव हमारे सामने हैं कि कैसे सत्ता में इन दक्षिणपंथी ताकतों ने अपनी विभाजनकारी जन–विरोधी नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए समाज में दरारों का इस्तेमाल किया है। भाकपा और लोकतांत्रिक ताकतें किसी भी तरह की धमकी के सामने खड़ी होंगी और सच्चाई और न्याय को बनाए रखने के लिए कानूनी और राजनीतिक लड़ाई लड़ेंगी।

इजरायली हथियारों की प्रयोगशाला फिलिस्तीन

फिलिस्तीन पर 1948 से, खासतौर से 1967 से जारी इजरायल का कब्जा द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद से अब तक का सबसे लंबा सैन्य कब्जा है। इजरायल ने इन सालों में फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक और गाजा के भू–भाग और फिलिस्तीनी जनता पर अपना नियंत्रण और दमन बनाए रखने के लिए स्पाइवेयर सॉफ्टवेयर (एक तरह का सॉफ्टवेयर जिससे दूसरे व्यक्ति के कंप्युटर हार्डड्राइव से चोरी छिपे डाटा ट्रांसफर होता है), सर्विलियेंस टेक्नोलोजी (जिसमें विडिओ सर्विलियेंस से लेकर सोशल मीडिया आदि के पिक्चर डाटा बेस से किसी व्यक्ति के चेहरे को पहचानने वाली फेसियल रेकोगनेशन सिस्टम तक) का इस्तेमाल किया है। इजरायली सेना इन उच्च तकनीक हथियारों के सहारे लाखों फिलिस्तीनियों की आवाजाही पर नजर रखती है और उन्हें प्रतिबंधित करती है। इसके अलावा हेरन और अन्य सटीक मारक क्षमता वाली ड्रोन (प्रीसाइस "सर्जिकल स्ट्राइक") टेक्नोलोजी से कब्जे में लिए हुए गाजा और वेस्ट बैंक के इलाकों को बमों से पाटती है।

इजरायली राज्य और इजरायली सेना अपने हाई एंड टेक्नोलोजी के परिक्षण लिए फिलिस्तीन को प्रयोगशाला की तरह इस्तेमाल करती है। राज्य समर्थित इजरायली हथियार उद्योग के हथियार निर्यात प्रचार ने इनके फिलिस्तीन पर सफल "बैटल–टेस्टिड" के तमगे से भारत समेत दुनिया के 130 देशों में मांग बनाई हुई है। इजरायल के लंबे समय से जनतंत्र विरोधी सरकारों, कम्युनिस्ट विरोधी सरकारों और नस्लवादी सरकारों जैसे कि इंडोनेशिया के जनरल सुहारतो, रोमानिया के निकोलेई चाउसेसकु, हेती का दुवालियर परिवार, चिली के अगस्तो पिनोचेट के साथ राजनीतिक रूप से लाभकारी संबंध रहे हैं।

समुद्र के रास्ते अफ्रीकी और अरब आप्रवासियों को यूरोपीय यूनियन की सीमाओं पर रोकने, अमरीका मेक्सिको बर्डर पर दक्षिण अमरीकी देशों के शरणार्थियों की घेरेबंदी करने और उन्हें खदेड़ने, रोहीनगया पर मयनमार सेना की हिंसा, भारतीय सेना की कश्मीर में अवैध हिंसा जैसे सभी मामलों में इजरायल ने अपने हथियार सप्लाइ किए हैं या उस तरह की टेक्नोलोजी उपलब्ध कराई है जिसका उपयोग मानवीय अधिकारों के उल्लंघन में हो सकता है।

पत्रकार और लेखक एंटनी लोवेनस्टाइन अपनी किताब, "द पैलस्टाइन लैब्रटोरीः हाउ इजरायल एक्स्पोर्टस द टेक्नोलोजी अराउन्ड द वर्ल्ड" में अवर्गी त दस्तावेजों, साक्षात्कारों एवं अन्य साक्ष्यों की गहन छानबीन के आधार पर लिखते हैं कि कैसे इजरायल कब्जा करने की टेक्नोलोजी का दुनियाभर में निर्यात करने के साथ–साथ दुनिया के हर कोने में एक फिलिस्तीन बना रहा है। स्वयं को दुनियाभर में एक सजातीय, यहूदी सर्वश्रेष्ठवादी राज्य के रूप में पेश करते हुए अनेक स्तरों पर काम कर रहा है। इजरायल इससे न केवल अपने हथियार और अन्य सर्विलेंस टेक्नोलोजी के लिए बाजार बनाता है बल्कि सजातीय राष्ट्रवाद समर्थकों और सरकारों को हथियार बेचने के साथ अपने समर्थन में खड़ा करता है और खुद उन देशों, सरकारों और हथियार बंद गुटों के समर्थन में खड़ा होता है। इस किताब पर डेमोक्रेसी नाउ की होस्ट एमी गुडमेन के साथ चर्चा के दौरान किताब के प्रमुख अंशों के बारे में एंटनी लोवेनस्टाइन ने बताया कि "इजरायली कुलीन फिलिस्तीनियों के राजनीतिक, सांस्तिक, आर्थिक, शैक्षणिक, धार्मिक अस्तित्व को मिटाना चाहते हैं। जरूरी नहीं है कि उन्हें मार कर लेकिन उनकी राजनीतिक पहचान, उनके राजनीतिक आत्म–निर्णय के अधिकार को मिटाने से भी।

यदि गैर–इजरायली नजरिये से देखें तो फिलिस्तीन जनता का प्रतिरोध जारी है। ज्यादातर फिलिस्तीनियों ने फिलिस्तीन नहीं छोड़ा है वे वहीं पर रह रहे हैं। दशकों से और खासतौर से वर्तमान इजरायली सरकार फिलिस्तीनियों की आकांक्षाओं, उनके विचारों, उनके राजनीतक यथार्थ, उनके भविष्य, उनकी संभावनाओं को कुचल रही है। और ऐसा करते हुए इजरायल ने वैश्विक दर्शकों के सामने अपनी एक सजातीय राष्ट्रवादी सरकार की पहचान पेश करने के साथ हथियारों का व्यापार किया है"।

इजरायल और भारत संबंध पर एंटनी का कहना था कि "मोदी के नेतृत्व में भारत जो कर रहा है वह केवल इजरायल की वजह से नहीं है। पारंपरिक रूप से, खासतौर से भारत और इजरायल अच्छे दोस्त नहीं थे। लेकिन पिछले दस एक सालों से जब से मोदी 2014 में सत्ता में आए तब से इजरायल और भारत के बीच में एक वास्तविक वैचारिक गठबंधन हुआ है।

यह संबंध लेकिन दो स्तरों पर है। एक यह रक्षा संबंध है। इसलिए भारत बड़े पैमाने पर टेक्नोलोजी, डिफेन्स सामग्री, जासूसी उपकरण खरीदता है। मैंने अपनी किताब में भारत से कई व्यक्तियों, वकीलों आदि से बात की खासतौर से उन लोगों से जिनके फोन पर इजरायल राज्य के एक हाथ पेगासस के द्वारा निगरानी रखी गई थी। लेकिन भारत का रक्षा संबंध के अलावा एक वैचारिक गठबंधन भी बना है वर्तमान हिंदुत्ववादी सरकार के कई अधिकारी खुलकर अपनी बातों में इजरायल जो वेस्ट बैंक में कर रहा है उसकी प्रशंसा कर रहे हैं और ऐसा ही कश्मीर में करना चाहते हैं।

मेरा आशय है कि वे कई कारणों से ऐसा कहते हैं। एक, चूंकि इजरायल बच जाता है। और कोई भी इजरायल को रोक नहीं रहा है। वास्तव में इजरायल वैश्विक रूप से पूर्ण दंडाभाव की स्थिति में है। दूसरा भारत के नजरिये से मुसलमान बहुल कश्मीर क्षेत्र में बड़े नंबर में हिंदुओं की तथाकथित बसाहट ऐसे है जैसे कि वेस्ट बैंक में इजरायल कर रहा है। मेरा सोचना है कि यह वास्तव में परेशान करने वाला गठबंधन है। मैं आज के भारत और इजरायल के बीच संबंध की तुलना इजरायल और रंगभेदी दक्षिण अफ्रीका के दिनों से करना चाहूँगा देश जो कि वैचारिक रूप से बहुत घनिष्ठ थे और एक दूसरे से प्रेरणा ले रहे थे, निस्सन्देह, इस विश्वास में, इजरायल के मामले में, कि यह यहूदी सर्वश्रेष्ठवादी राज्य है। और भारत के मामले में बढ़ता हुआ एक हिन्दुत्ववादी राज्य"।

शरणार्थियों के मुद्दे पर एंटनी कई सालों से काम कर रहे हैं अपने वर्षो के अनुभव और छानबीन के आधार पर हाल ही में सात सौ से ज्यादा शरणार्थियों की समुद्र में जहाज डूबने से हुई मृत्यु के संदर्भ में एंटनी ने बताया की किस तरह यूरोपीय यूनियन शरणार्थियों पर निगरानी रखने और उन्हें रोकने के लिए इजरायली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है।

यूरोपीय यूनियन में 2015 से पहले सीरिया, अफगानिस्तान और अन्य जगहों के मुस्लिम शरणार्थी काफी संख्या में आए थे, और उन्हें आगे रोकने के लिए पिछले कुछ एक सालों से यूरोपीय यूनियन ने "यूरोप को एक किले के जैसे बना दिया, इसमें खास तौर से मुसलमानों, भूरे और काले शरीर वाले लोगों बाहर रखने के लिए कई तरह के औजारों और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है।

इजरायली ड्रोन का उपयोग इस किलेबंदी में उनके शस्त्रागार का एक हिस्सा है। ये ड्रोन वैसे तो हथियार रहित हैं लेकिन वे लगातार दिन–रात भूमध्यसागर पर मंडराते रहते हैं, और उनका ज्यादातर उपयोग यूरोपीय यूनियन की सीमा सुरक्षा शाखा फ्रन्टेक्स द्वारा किया जाता है। वास्तव में वे उनकी आकाश में आंखें हैं। इस ड्रोन से ली गई सभी तस्वीरों को लगातार वॉरस स्थित फ्रन्टेक्स ऑपरेशन ऑफिस भेजा जाता है। यूरोपीय यूनियन ने इसे स्वीकार नहीं करने का फैसला लिया हुआ है लेकिन उनका लोगों को डूब जाने देना का फैसला यह सच्चाई है। यह नई नीति है। जीवन रक्षा के लिए वहाँ बहुत कम राहत नौकाएं हैं। यूरोपीय यूनियन मुश्किल से किसी को बचाता है। कुछ गैर–सरकारी संगठन हैं जो राहत काम में लगे हैं। लोगों को डूबने देने की अनुमति में इजरायली ड्रोन एक बुनियादी ढांचे के रूप में एक प्रमुख हथियार बन जाता है। और मेरे लिए महत्वपूर्ण यह है कि यूरोपीय यूनियन द्वारा इजरायली ड्रोन का उपयोग इसलिए किया जाता है, क्योंकि पिछले 15 वर्षो में उनका परिक्षण फिलिस्तीन में गाजा पर किया गया था।

आप पाएंगे की लगभग ऐसे ही इजरायली सीमा–औद्योगिक परिसर को अमेरिका–मेक्सिको सीमा पर निर्यात किया गया है। इजराइल की प्रमुख रक्षा कंपनी एलबिट ने बड़ी मात्रा में इजरायली निगरानी टावर बनाए हैं, पूरा बोर्डर उनसे भरा हुआ है। यह मेक्सिको के साथ लगी अमरीकी सीमा पर अमेरिकी शस्त्रागार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और उस कंपनी को अमरीका ने क्यों चुना? क्योंकि, निस्सन्देह, इसका पहली बार फिलिस्तीन में परीक्षण किया गया था।

पेगासस पिछले कुछ सालों में एक बदनाम इजरायली स्पाइवेयर (जासूसी सॉफ्टवेयर) के रूप में जाना गया है। पेगासस स्पाइवेयर किसी के फोन, आईफोन या एंड्रॉइड पर जासूसी करने और उस फोन से सभी जानकारी प्राप्त करने की सुविधा सरकार, सैन्य खुफिया या पुलिस विभाग को देता है। यह दुनिया भर के दर्जनों देशों में फैल गया है। और यह सिर्फ पेगासस नहीं है। बेशक, कई अन्य इजरायली कंपनियां भी यही कर रही हैं।

पेगासस पर मीडिया में चली चर्चा से अलग पहलुओं पर ध्यान दिलाते हुए एंटनी ने बताया कि पेगासस को मीडिया में इस तरह पेश किया गया कि वह एक बदनाम इजरायली कंपनी दुनिया भर में भयानक काम कर रही है। लेकिन पेगासस वास्तव में नाम के लिए ही प्राइवेट कंपनी है, यह मूलतरू राज्य की एक इकाई है। एंटनी ने बताया कि मैंने इस तथ्य को अपनी इस किताब में दर्ज किया है कि नेतन्याहू और मोससद पिछले 10 सालों में जीतने भी देशों में गए वे पेगासस को एक कूटनीतिक ईनाम के बतौर इस्तेमाल करते हैंरू "अगर यू एन और दूसरी जगह हमारा समर्थन करोगे, हम तुम्हें दुनिया का सबसे ताकतवर स्पाइवेयर बेचेंगे"। संयुक्त अरब एमीरात, साऊदी, रवांडा, मेक्सिको देशों को इसका बेचा जाना बताता है कि यह कूटनीतिक ईनाम काम करता है। अभी तक इस तरह के स्पाइवेयर पर न तो कोई प्रतिबंध है और न ही इन पर नियमन, और यदि एनएसओ ग्रुप की एक कंपनी पेगासस यदि कल गायब हो जाती है तो वहाँ कई अन्य कंपनियां है जो कि बिल्कुल यही काम कर रही हैं, और इसी कारण से इजरायल स्पाइवेयर निर्यात करने वाला अग्रणी देश है।

ग्वाटेमाला जैसी विवादास्पद परिस्थितियों में जवाबदेही से बचने के लिए अमरीका किस तरह इजरायल के साथ काम करता है इस संबंध में एंटनी ने बतया कि "पिछले 50 सालों से कई ऐसे देश जिनके साथ अमरीका की घनिष्ठता थी उसमें से इजरायल लगभग अमरीकी कमांडर बन गया है, जो कि अक्सर उन देशों का समर्थन करता है, हथियारबंद करता है, सैन्य प्रशिक्षण देता है जिनका समर्थन अमरीका आधिकारिक रूप से नहीं कर सका। इसमें ग्वाटेमाला जैसे देश शामिल है जब वे अपनी देशज आबादी का नरसंहार कर रहे थे। इसके अलावा लैटिन और दक्षिण अमरीका के कई देशों के अलावा अफ्रीका और एशिया के देश हैं।

अवर्गीकृत दस्तावेजों और साक्षात्कारों के आधारों पर उस समय से अमरीका इजरायल संबंध से आज तक के संबंध पर नजर डालें तो अमरीका दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक है और इजरायल दुनिया का दसवां सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश है। इजरायल के हथियारों के निर्यात का ठीक–ठाक हिस्सा बहरीन, सऊदी अरब, मोरक्को और अन्य देशों को जाता है। . . . मिडल ईस्ट में अमरीका और इजरायल समर्थित तानाशाही को खड़ा करने के लिए ये दमनकारी टेक्नोलोजी, स्पाइवेयर, गुप्त सूचना इकट्ठा करने वाले उपकरणों से लेकर कई दूसरे तरह के हथियार बेच रहे हैं"।

लगातार बढ़ते जलवायु संकट और संसाधनों के लिए बढ़ते युद्ध के मद्देनजर अनेक पश्चिमी देशों ने शरण की तलाश में आने वाले लोगों को अपने देश में न आने देने का फैसला लिया है। उसकी जगह ऊंची दीवारें बनाने और ज्यादा से ज्यादा सेरविलएंक टेक्नोलोजी लगाने का फैसला लिया है। हाल ही की भूमध्यसागरीय जहाज दुर्घटना इसका एक ताजा उदाहरण है। इजरायली सेरविलएंक टेक्नोलोजी और दमन उनके शस्त्रागार का हिस्सा है जिसे कई देश अब खरीद रहे हैं। क्योंकि उनका सोचना है कि इन हथियारों का उपयोग फिलिस्तीन पर सफलतापूर्वक किया गया है"। यह न केवल लेखक, एंटनी के लिए बल्कि शोषण मुक्त दुनिया की आकांक्षा और उसके लिए संघर्ष करने वाले दलों, संगठनों, व्यक्तियों के लिए चिंता का विषय है इस पर दुनिया भर में सभी लोगों को बोलना चाहिए और इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए।

प्रस्तुति और अनुवादरू जगदीश चंद

आन्ध्र एआईवायएफ का चार दिवसीय वैज्ञानिक और सांस्कृतिक सम्मेलन

एआईवायएफ आन्ध्र प्रदेश राज्य परिषद ने एक चार दिवसीय राज्य स्तरीय विज्ञान और सांस्कृतिक सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन में विभिन्न विषयों पर अलग अलग क्षेत्रों से आने वाले प्रतिष्ठित लोगों ने अपने विचार युवाओं के सामने रखे। एआईवायएफ का यह चार दिवसीय सम्मेलन गुंटूर शहर के वेंकटेश्वर विज्ञान मंदिर में भव्य रूप से शुरू हुआ।

इस सम्मेलन का आरंभ ध्वजारोहण से किया गया। ध्वजारोहण एआईवायएफ के पूर्व राज्य अध्यक्ष और राष्ट्रीय सचिव और वर्तमान समय में भाकपा राज्य सचिवमंडल सदस्य जी ईश्वरैया ने किया। इसके बाद उद्घाटन एआईवायएफ के अध्यक्ष और राष्ट्रीय महासचिव रहे भाकपा के राज्यसभा सांसद पी संदोषकुमार ने किया।

अपने उद्घाटन भाषण में संदोषकुमार ने भाजपा–आरएसएस की विभाजक राजनीति पर निशाना साधते हुए बताया कि किस प्रकार यह फासीवादी गिरोह अंध विश्वास को बढ़ावा दे रहा है और भारत की मिश्रित संस्कृति को सांप्रदायिक सदभाव को खत्म करने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने बताया कि इसका जवाब सही वैज्ञानिक समझदारी और सांस्कृतिक विरोसत को बचाने के प्रयास से ही किया जा सकता है।

एआईवायएफ राज्य युवा वैज्ञानिक सांस्कृतिक शिक्षा सम्मेलन के अवसर पर दूसरे दिन एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। जिसका विषय था 'फासिवादी खतरा–हमारे कर्तव्य'। इस विषय पर जाने माने संपादक वेणुगोपाल ने अपना वक्तव्य पेश किया। इसके अलावा एक अन्य सत्र में दूसरे विषय 'स्वतंत्रता आंदोलन में युवा क्रान्तिकारी नायकों की भूमिका' पर विचार गोष्ठी का आयोजन भी किया गया। इस गोष्ठी में मुख्य वक्ता प्रो. राजशेखर थे। जिन्होंने विस्तार से आजादी की लड़ाई में युवा क्रान्तिकारी नायकों की भूमिका पर प्रकाश डाला।

इसके अलावा दूसरे दिन एआईवायएफ के राज्य युवा वैज्ञानिक सांस्कृतिक शिक्षा सम्मेलन के अवसर पर एक आन्य विषय पर चर्चा की गयी जिकसा विषय था 'नैतिक मूल्यों की भावना के कौशल के साथ आंदोलनों में कार्यकर्ता कैसे बनें। इस विषय को

संबोधित करने वाले प्रमुख वक्ता थे जन विज्ञान वेदिका के संस्थापक डॉ. वी. ब्रह्मा रेड्डी।

एआईवायएफ राज्य युवा शिक्षा वैज्ञानिक सांस्कृतिक सम्मेलन के अवसर पर पूर्व छात्र नेता मशहूर मिमिक्री कलाकार मिमिक्री रमेश गारू ने भी अपना संदेश उपस्थित युवाओं को दिया।

राज्य स्तरीय युवा शैक्षिक वैज्ञानिक सांस्कृतिक सम्मेलन के अवसर पर तीसरे दिन भगत सिंह राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम (बनेगा) की मांग को लेकर युवाओं ने गुंटूर में एक विशाल रैली का आयोजन किया और रोजगार भत्ते की मांग को लेकर एक प्रदर्शन किया गया।

इसके अलावा राज्य युवा शैक्षिक वैज्ञानिक सांस्कृतिक सम्मेलन के तीसरे दिन के अवसर पर कार्यक्रम 'देश, राज्य राजनीतिक परिस्थिति–बेरोजगारी समस्या–युवा भविष्य–भविष्य के लिए संघर्ष' विषय बोलने वालों में मुख्य वक्ता के रूप में पूर्व युवा नेता और भाकपा के राज्य सचिव एवं पूर्व विधायक के रामकृष्णा थे। उन्होंने मौजूदा सरकार की नीतियों को निशाना बनाते हुए उससे बढ़ती बेरोजगारी पर जोर दिया और कहा कि किस प्रकार मौजूदा सरकार की नीतियों के कारण युवाओं का भविष्य अंधेरे में है। उन्होंने बढ़ती बेरोजगारी पर चिंता जाहिर करते हुए युवाओं से आगे आकर संघर्ष करने की भी अपील की।

एआईवायएफ राज्य युवा शैक्षिक वैज्ञानिक सांस्कृतिक सम्मेलन के अवसर पर 'धर्म–अंधश्रद्धा–वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य' कार्यक्रम के तीसरे दिन भारत के नास्तिक समाज अध्यक्ष जी डी. सराय्या गारू ने अपने विचार रखे और समाज में फासीवादी ताकतों के द्वारा फैलाये जरा रहे अंध विश्वास और दक्षिणपंथी राजनीति को उससे हाने वाले राजनीतिक फायदे पर रोशनी डाली।

एआईवायएफ राज्य युवा शिक्षा वैज्ञानिक सांस्कृतिक सम्मेलन के अवसर पर सम्मेलन के चौथे दिन बोलते हुए एआईवायएफ के राष्ट्रीय महासचिव आर तिरुमलई रमन ने मौजूदा समय में युवाओं की चुनौतियां और उसके समाधान के बारे में विस्तार से चर्चा की। इसके अलावा कर्नाटक एआईवायएफ के नेता नेता हरीश बाला ने भी चौथे दिन सम्मेलन को संबोधित किया। सम्मेलन के चौथे दिन संबोधित करने वालों में एआईवायएफ के पूर्व राष्ट्रीय नेता एवं भाकपा के राज्य सचिवमंडल के सदस्य गुज्जूला ईश्वरैया भी शामिल थे।

राज्य युवा शैक्षिक वैज्ञानिक सांस्कृतिक सम्मेलन के अवसर पर, एआईवायएफ के पूर्व राज्य अध्यक्ष भाकपा राज्य सहायक सचिव मुप्पल्ला नागेश्वर राव, एआईवायएफ के पूर्व नेताओं, भाकपा राज्य कार्यकारी सदस्य डी शंकर और अन्य भाकपा नेता भी इस अवसर मौजूद रहे और सम्मेलन को संबोधित किया।

युवा सम्मेलन में भाग लेने के लिए 26 जिलों से 685 प्रतिनिधि शामिल हुए। सम्मेलन को सफल बनाने में लगभग एक महीने से बहुत से लोगों ने मदद और सहयोग किया और राज्य सचिव लेनिन बाबू ने अंत में सभी का धन्यवाद भी किया।

एआईवायएफ का राज्य युवा शिक्षा वैज्ञानिक सांस्कृतिक सम्मेलन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।

ईमानदारी और नैतिकताओं की लंबी लकीर खींचने वाले कामरेड ऊदल

पुण्यतिथि विशेष

कृष्ण प्रताप सिंह

वाराणसी की कोलअसला विधानसभा क्षेत्र से नौ बार विधायक रहे भाकपा नेता ऊदल को बंगले या मंत्री पद के आकर्षण कभी बांधकर नहीं रख सके। स्वतंत्रता सेनानियों के लिए सम्मान पेंशन शुरू हुई तो उन्होंने यह कहकर मना कर दिया कि 'यह जेल जाने, वहां यातनाएं सहने वालों के लिए है. मैं तो कभी गोरी पुलिस के हाथ लगा ही नहीं।'

जब से वाराणसी को क्योटो जैसी दिव्य बनाने का सपना दिखाया गया है, उसको कई दूसरे कारणों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जब तब होने वाले 'भव्य' दौरों के लिए भी जाना जाने लगा है। विपक्षी दल आरोप लगाते हैं कि इन दौरों की 'सफलता' के लिए राजकोष से पानी की तरह पैसा बहाया जाता है, लेकिन उनका यह आरोप कोई नैतिक प्रश्न नहीं खड़ा कर जाता।

हालांकि स्वतंत्रता के बाद एक समय ऐसा भी था, जब वाराणसी राजनीतिक ईमानदारी व नैतिकता की राजधानी हुआ करती थी। कभी लालबहादुर शास्त्री और कभी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जमीनी नेता ऊदल के कारण। इनमें ऊदल की बात करें, जिनकी 6 जुलाई को पुण्यतिथि थी, तो जिले के कोलअसला विधानसभा क्षेत्र से नौ बार विधायक रहने के बावजूद अपने अंतिम दिनों में वे इलाज के लिए वाराणसी के एक अस्पताल में गए तो उनके हाथ बहुत तंग थे। प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को इसका पता चला और उन्होंने सरकारी सहायता भेजी तो उन्होंने उसे इस जवाब के साथ लौटा दिया कि मैंने आज तक वेतन व भत्तों के अलावा अपनी जनता का एक पैसा भी कभी अपने ऊपर खर्च नहीं किया। सो, अंतिम समय में भी यह गुनाह नहीं करूंगा।

उनकी राजनीतिक नैतिकता का आलम यह था कि भले ही वे भाकपा में थे, 'सादा जीवन, उच्च विचार' के प्रेरक नेताओं की मिसाल देते तो कम्युनिस्ट ईएमएस नंबूदरीपाद व विधानचंद्र राय के साथ लालबहादुर शास्त्री, सम्पूर्णानंद व चंद्रभानु गुप्त जैसे कांग्रेसियों के नाम लेना भी न भूलते।

बहरहाल, छह जुलाई, 2005 को उसी अस्पताल में उनका निधन हो गया और उसके बाद के 18 सालों में ही उन्हें अकल्पनीय ढंग से भुला दिया गया। हालांकि, जानकारों के अनुसार, न उनके द्वारा की गई देश की सेवाएं इतनी कमतर थीं, न ही पार्टी की। पार्टी से तो वे आखिरी सांस तक इतने एकाकार रहे कि बार–बार दोहराते रहते थे कि उससे अलग वे कुछ भी नहीं हैं।

और बात है कि वे 1964 के हुए उसके विभाजन की टीस उन्हें सालती रहती थी। वे मानते थे कि उस वक्त वह दो धड़ों में न बंट जाती तो आज देश को नए विकल्प के लिए चिंतित न होना पड़ता। पार्टी में आई वह गिरावट भी उनकी चिंता का विषय हुआ करती थी, जिसके चलते उसके द्वारा तैयार किए गए अनेक जनपक्षधर कार्यकर्ताओं, नेताओं, सिद्धांतकारों, विद्वानों व लेखकों को पूंजीवादी चमक–दमक वाले दूसरे दल सुविधापरस्त बनाकर अपने पाले में खींच ले गए।

राजधानी में बंगला या मंत्री पद के आकर्षण ऊदल को कभी बांधकर नहीं रख सके। संविद सरकारों के दौर में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार में शामिल हुई तो भी वे पदाकांक्षी नहीं ही बने। आमतौर पर वे अपने गांव–जवार के लोगों के बीच ही प्रसन्न रहते थे। लखनऊ तभी जाते, जब विधानमंडल का सत्र होता। उन्होंने कभी अपनी सुरक्षा या 'इकबाल' जताने के लिए सरकारी–गैरसरकारी गनर या शैडो नहीं चाहे। कहते, 'क्या करूंगा इनका? धन मैंने बटोरा नहीं और व्यक्तिगत दुश्मनी किसी से की नहीं है।'

व्यक्तिगत ईमानदारी और अनूठी नैतिकताओं की उनके द्वारा खींची गई खासी लंबी लकीर के बावजूद उनकी स्मृतियों से सामाजिक तघ्नता के चलते आज हमें उनकी ठीक–ठीक जन्मतिथि तक नहीं पता। इतना भर पता है कि 1922 में वाराणसी जिले के देवराई गांव में एक किसान परिवार में जन्मे और 1944 में क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी से राजनीतिक यात्रा आरंभ की। उसी के टिकट पर 1952 में कोलअसला (तब वाराणसी पश्चिम) सीट से उत्तर प्रदेश विधानसभा का पहला चुनाव लड़े और हारे।

बाद में प्रदेश की कांग्रेसी सरकार ने बहुचर्चित सीरदारी कानून बनाया और कमजोर वर्गों के शोषण, उत्पीड़न व उनसे बेगार लेने की समस्याएं बेकाबू हो चलीं, तो वाराणसी में किसान–जमीन्दार संघर्ष में दो जानें चली गई। इसे लेकर निचली अदालत ने 1953 के अंत में ऊदल को उम्रकैद समेत कुल 29 साल की सजा सुनाई। लेकिन 1955 में उच्च न्यायालय ने उन्हें बरी कर उनका राजनीतिक जीवन बचा दिया।

अनंतर, उनकी पार्टी का भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में विलय हो गया, जिसके बाद वे पूरा जीवन भाकपा के होकर रहे। 1957 में कोलअसला से ही पहली बार उसके विधायक बने तो 1962 व 1967 में भी जनता के विश्वासभाजन बने रहे। लेकिन 1969 में इसी जनता ने नाराज होकर कांग्रेस के हाथों उनका विजय अभियान रुकवा दिया। अलबत्ता, उसी ने आगे 1974, 1977 व 1980 के लगातार तीन चुनाव जिताकर उनसे हैट्रिक भी बनवाई। फिर 1985 में शिकस्त खिलाकर 1989, 1891 व 1993 के विधानसभा चुनावों में उनसे एक और हैट्रिक बनवाई। लेकिन 1996 में अपने आखिरी चुनाव में वे भाजपा के अजय राय से कुछ सौ वोटों से हार गए।

अपने राजनीतिक जीवन को वे इस मायने में बहुत सफल मानते थे कि उन्हें उसमें आजादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले ऐसे सच्चरित्र देशप्रेमियों का साथ मिला, व्यक्तिगत स्वार्थ जिन्हें छू तक नहीं पाए थे। स्वतंत्रता सेनानियों के लिए सम्मान पेंशन शुरू हुई तो उन्होंने यह कहकर उसे नहीं लिया कि 'यह पेंशन तो जेल जाने और वहां यातनाएं सहने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के लिए है। मैं तो कभी गोरी पुलिस के हाथ लगा ही नहीं।'

हालांकि कोई अन्य स्वतंत्रता सेनानी उनका स्वतंत्रता संघर्ष में भाग लेना प्रमाणित कर देता तो भी उन्हें पेंशन मिल जाती। तत्कालीन मुख्यमंत्री सम्पूर्णानन्द ने उनसे इसका वादा भी किया था। लेकिन उन्होंने वह पेंशन तो नहीं ही ली, उसे न लेने का क्रेडिट भी नहीं लिया। कोई जिक्र करता तो कहते, 'मैं क्या, नंबूदरीपाद ने तो केरल का मुख्यमंत्री बनने के बाद अपनी सारी संपत्ति पार्टी को सौंप दी थी।'

हां, ऊदल की राजनीति में परिवारवाद की कोई जगह नहीं थी। अपने परिवार के किसी सदस्य को–कोटा, परमिट और एजेंसी आदि तो क्या, छात्रवृत्ति दिलाने में भी उन्होंने कभी अपने राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल नहीं किया। न ही अपनी संतानों को राजनीति में लाए। राजनीति में परिवारवाद शुरू करने के लिए वे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू व उनकी बेटी इंदिरा गांधी के कट्टर आलोचक थे। उनके अनुसार 'इससे भी बुरा यह हुआ कि 1967 के बाद इस परिवारवाद को दूसरे दलों के नेताओं ने भी अपना लिया।'

एक बार उन्हें उत्तर प्रदेश विधानसभा का अध्यक्ष बनाने की पेशकश की गई तो उन्होंने विनम्रतापूर्वक मनाकर दिया। हालांकि बाद में सबसे वरिष्ठ विधायक होने के नाते कई विधानसभाओं के गठन के वक्त प्रोटेम स्पीकर बनते रहे। 1991 के विधानसभा चुनाव में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद की हवा बही, भाजपा ने बहुमत पा लिया और सदन में उसके विधायकों ने 'जोश' में भरकर 'जय श्रीराम' कहकर श्रीराम के नाम पर शपथ लेना शुरू कर दिया तो प्रोटेम स्पीकर के तौर पर उन्होंने यह बहुचर्चित व्यवस्था दी कि संविधान ईश्वर और सत्यनिष्ठा के नाम पर शपथ लेने के दो ही विकल्प देता है।

नास्तिक होने के बावजूद उन्होंने वाराणसी जैसी धर्मनगरी को अपनी कर्मभूमि बनाया था और साक्षात्कारों में खुलकर स्वीकारते थें कि वे ईश्वर और कर्मकांड में विश्वास नहीं करते, क्योंकि ईश्वर दरअसल है ही नहीं। होता तो अपने स्वार्थों के लिए दूसरों को लूटने–मारने वालों पर बज्र गिरा देता। वे पूछते थे कि अगर ईश्वर एक और सबका है तो उसके नाम पर एक दूजे से दुश्मनी क्यों है? एक देश दूसरे देश से और एक जाति दूसरी जाति से क्यों लड़ती रहती हैं?

वामदलों को अपना स्वाभाविक मित्र बताने वाले मुलायम सिंह यादव ने अपने सुनहरे दिनों में वामदलों में तोड़–फोड़ आरंभ कर भाकपा के मित्रसेन यादव जैसे दिग्गज को तो अपनी ओर कर लिया लेकिन उस वक्त ऊदल पर डोरे डालने की उनकी हिम्मत नहीं हुई। बाद में भी उन्हें ऊदल की डांट सुनकर रह जाना पड़ा।

उन्हीं दिनों किसी ने ऊदल से पूछा कि उन्हें भाजपा नेता कल्याण सिंह और सपा नेता मुलायम सिंह यादव में किसी एक को चुनना पड़े तो वे किसे चुनेंगे? उनका जवाब था–किसी को नहीं। कल्याण भी असत्य वाचन करते हैं और मुलायम भी।

देश की राजनीति के गलत राह पर चले जाने का सबसे बड़ा जिम्मा वे कांग्रेस पर डालते थे, क्योंकि जाति–धर्म के आधार पर उम्मीदवारों का चयन उसी ने शुरू किया। बाद में दूसरे दलों ने उसे परंपरा बना दिया तो क्षेत्रवाद व संप्रदायवाद विकराल हो गए। उन दिनों ऊदल को लगता था कि देश का भविष्य और उसके संकटों का समाधान इस बात पर निर्भर करेगा कि कांग्रेस की जगह वामपंथी दल लेंगे या सांप्रदायिक जातिवादी शक्तियां।

एक और बात। विधायक के तौर पर न वे कभी सदन में हंगामे पर उतरे, न ही वेल में गए। उन पर उस पुरानी परंपरा की गहरी छाप थी, जिसके तहत सत्तापक्ष व विपक्ष दोनों सदन के नियम और अनुशासन से बंधे रहते थे। विधानसभाध्यक्ष की अनुमति के बिना कोई सदस्य एक शब्द भी नहीं बोलता था और वेल में जाने के बजाय अपने आसन पर खड़ा होकर ही विरोध प्रकट करता था। तब विधानसभाध्यक्ष सत्तापक्ष व विपक्ष दोनों को एक आंख से देखते थे और खुद को सत्तापक्ष का संरक्षक नहीं बनाते थे। मंत्री भी पूरी तरह तैयार होकर सदन में आते और अपनी जिम्मेदारी पूरे मन से निभाते थे।

बकौल ऊदल–सदनों में हल्ले–गुल्ले व हंगामे की प्रवृत्ति तो 1985 के बाद शुरू हुई औरा विधायक सरकारी अधिकारियों के तबादले रुकवाने के लिए भी हंगामा करने व वेल में जाने लगे। सत्तापक्ष ने भी विपक्ष का ऐसा अनादर आरंभ कर दिया, जैसे उसे किसी और जनता ने चुना हो, विपक्ष को किसी और जनता ने।

बकौल ऊदलः 'अब तो चुने हुए विधायक भी ऐसे–ऐसे धतकरम करते हैं, जैसे पहले नौकरशाह करते लजाते थे। समझते नहीं कि हमारा देश बहुधर्मी व बहुजातीय देश है और इसे हम तभी तक एक रख सकेंगे, जब तक जातीयता, क्षेत्रीयता और धार्मिकता आदि से दूर रहेंगे।

हैदराबाद : एआईएसएफ द्वारा वर्कशॉप का आयोजन

राम नरसिम्हा राव

ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन ने हैदराबाद में सत्यनारायणन रेड्डी भवन में एक तीन दिवसीय राष्ट्रीय वर्कशॉप का आयोजन किया। 8 जुलाई 2023 को वर्कशॉप का उद्घाटन करते हुए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय सचिव एवं पूर्व राज्यसभा सदस्य अजीज पाशा ने छात्रों का आह्वान किया कि उन्हें मोदी सरकार के नेतृत्व में केंद्र की भाजपा सरकार की फासिस्टी नीतियों के खिलाफ जुझारू संघर्ष छेड़ना चाहिए। उन्होंने दो करोड़ नए रोजगार हर वर्ष सृजित करने का वायदा किया था, जिसको उन्होंने पूरा नहीं किया, अतः छात्रों एवं युवाओं को चाहिए कि लोकसभा सभा के आगामी चुनाव में मोदी सरकार को सत्ता से हटाने की दिशा में काम करें। नए रोजगार सृजन करना तो दूर रहा इस सरकार के कार्यकाल में लाखों मौजूदा रोजगार भी खत्म हो गए।

अजीज पाशा ने कहा कि इस सरकार के अंतर्गत मेहनतकश लोग और सभी कमजोर तबके अत्यंत मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। युवाओं के सामने आज जो समस्याएं हैं, युवा पीढ़ी को उनके संबंध में जुझारू संघर्ष करने होंगे। अगले कुछ महीनों में कुछ राज्यों में विधान सभा के लिए चुनाव होने वाले हैं और इसके बाद 2024 में लोकसभा के चुनाव होंगे। यह खुशी की बात है कि कर्नाटक के विधानसभा चुनाव के नतीजों ने भाजपा के लिए दक्षिण के दरवाजे बंद कर दिए हैं। प्रधानमंत्री मोदी सांप्रदायिक एवं फूटपरस्त नारों को प्रोत्साहन दे रहे हैं। कर्नाटक के विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने मतदाताओं से अपील की कि मतदान के लिए बटन दबाते समय ''जय बजरंगबली'' का नारा लगाएं, परंतु जनता ने अत्यंत समझदारी के साथ मतदान किया और भाजपा को हरा दिया। आगामी दिनों में पांच राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और मोदी ने उन चुनावों पर अपना ध्यान केंद्रित कर रखा है। भाजपा की बी टीम के कुछ लोग, जो भाजपा की मदद कर सकते हैं, जनता को उनसे सतर्क रहना होगा। अनेक सर्वे बताते हैं कि देश में बेरोजगारी चरम स्तर पर है और लगातार बढ़ती ही जा रही है। अनेक सर्वे बताते हैं कि भाजपा को विपक्षी पार्टियों की एकता के जरिये ही शिकस्त दी जा सकती है। इसके लिए युवाओं को एकताबद्ध होकर लगातार संघर्ष करना होगा। अजीज पाशा ने कहा कि यह वर्कशॉप ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन के विकास में मदद करेगा।

वर्कशॉप को संबांधित करते हुए ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखेन्द्र महेसरी और महासचिव तिरूमलाई रमन ने कहा कि देश में सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम स्थापित किए जाने चाहिएं और इसके लिए युवाओं को आंदोलन करना चाहिए। युवाओं को नरेन्द्र मोदी की सांप्रदायिक उन्मादपूर्ण नीतियों से सतर्क रहना चाहिए। भाजपा की केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारें देश में अभूतपूर्व बड़े पैमाने पर बेरोजगारी के लिए जिम्मेदार हैं, अतः आगामी चुनाव में भाजपा को हराया जाना चाहिए।

वर्कशॉप के समापन सत्र को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य और तेलंगाना के राज्य सचिव के. संबाशिव राव ने भी संबोधित किया।

संबाशिव राव ने अपने संबोधन में युवाओं से अपील की कि वे विवेकानन्द से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ें और भगत सिंह एवं चे ग्वेरा जैसे विश्वभर के युवाओं के आदर्शों के अनुसार काम करें। युवाओं को लगातार अध्ययन करना चाहिए, तर्कपूर्ण तरीके से सोचना चाहिए और एक नए समाज के निर्माण के लिए सक्रिय होकर अपनी हिस्सेदारी निभानी चाहिए। समाज को बदलने में युवाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। कमजोर युवा देश के लिए बोझ और मजबूत युवा देश के लिए अत्यंत मूल्यवान परिसंपत्ति होते हैं। लाखों साल पहले अफ्रीका में मानवप्राणी का विकास हुआ जहां से वह यूरोप, एशिया, उत्तर एवं दक्षिण अमरीका और ऑस्ट्रेलिया को माइग्रेट हुआ। अब वही मानव एक भूमंडलीय गांव में एकसाथ रह रहे हैं। भाजपा और संघ परिवार सांप्रदायिक तनाव पैदा कर हमारे समाज में फूट डाल रहे हैं। हरेक धर्म एक सर्वसमावेशी और बेहतर समाज की स्थापना की सीख देता है। परंतु भाजपा धर्म के नाम पर देश में सांप्रदायिक तनाव बढ़ा रही है। युवाओं को इसे बेनकाब करना चाहिए।

भाकपा केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य चाडा वेंकट रेड्डी ने वर्कशॉप को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए आगामी चुनाव उनका आखिरी चुनाव साबित होगा। युवाओं को सांप्रदायिकता एवं फटपरस्ती की राजनीति के खिलाफ संघर्ष करना चाहिए। उन्होंने आशा व्यक्त की कि यह वर्कशॉप देश की राजनीति के भविष्य के लिए एक सार्थक योगदान करेगी।

वर्कशॉप में ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन के राष्ट्रीय पदाधिकारियों–टीटी जिस्मान, एन लेनिन बाबू, अरूण विक्की, हरीश बाला, भारती, करमवीर कौर और तेलंगाना राज्य अध्यक्ष वलीउल्ला कादरी एवं महासचिव धर्मेन्द्र के अलावा राज्य के अन्य पदाधिकारी, मेडचल जिले के अध्यक्ष एन. श्रीकांत और महासचिव लिंगम रवि और सलमान बेग एवं टी. सत्यप्रकाश आदि भी शामिल थे।

ईडी निदेशक का तीसरा सेवा–विस्तार अवैध; प्रधानमंत्री मोदी को सुप्रीम कोर्ट की अवमानना के लिए सजा क्यों नहीं?

आर.एस. यादव

11 जुलाई 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के प्रमुख संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल को दिए गए सेवा–विस्तार को अवैध ठहराया। जस्टिस बी.आर. गवई, जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संजय करोल की पीठ ने उनके सेवा–विस्तार को कॉमन कॉज मामले में सुप्रीम कोर्ट के 2021 के आदेश का उल्लंघन माना। पीठ ने कहा कि उन्हें और सेवा–विस्तार नहीं दिया जाना चाहिए।

पीठ ने उनके सेवा–विस्तार को अवैध घोषित करते हुए, केंद्र सरकार की दलीलों को मानते हुए मिश्रा को 31 जुलाई 2023 तक अपने पद पर बने रहने की अनुमति दे दी। तीसरी बार मिले सेवा–विस्तार से उन्हें 28 नवंबर को सेवानिवृत्त होना था। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि केंद्र सरकार 15 दिनों में नए ईडी की तलाश करे।

मालूम नहीं सरकार 15 दिन में किसी नए ईडी को नियुक्त करेगी या नियुक्ति की प्रक्रिया में कुछ और समय लगेगा, ऐसी कोई दलील देकर उन्हें 31 जुलाई 2023 के बाद भी ईडी के प्रमुख पद पर काम करते रहने की कोई तिकड़म करे।

संजय कुमार मिश्रा को पहली बार नवंबर 2018 में ईडी के डायरेक्टर पद पर नियुक्त किया गया था। नियुक्ति आदेश के अनुसार, वह दो साल बाद 60 साल की उम्र तक पहुंचने पर नवंबर 2020 में रिटायर होने वाले थे। परंतु रिटायर होने से ठीक पहले सरकार ने नवंबर 2020 में उनके नियुक्ति आदेश को पूर्वव्यापी रूप से संशोधित करते हुए उनके कार्यकाल को दो साल से बढ़ाकर तीन साल कर दिया।

कॉमन कॉज बनाम भारत सरकार मामले में इस पूर्वव्यापी संशोधन की वैधता और मिश्रा के कार्यकाल को एक अतिरिक्त वर्ष के सेवा–विस्तार की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट का रूख किया गया था।

उस समय जस्टिस एल. नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा था कि सेवा–विस्तार केवल ''दुर्लभ और असाधारण मामलों'' में थोड़े समय के लिए दिया जा सकता है। उस समय पीठ ने उनके कार्यकाल को बढ़ाने की पुष्टि तो कर दी थी परंतु सरकार को आगाह किया था कि ईडी के डायरेक्टर को आगे कोई सेवा–विस्तार नहीं दिया जाएगा। उसके अनुसार, मिश्रा को नवंबर 2022 में रिटायर हो जाना चाहिए था।

परंतु सरकार ने उन्हें रिटायर करने के बजाय एक तिकड़म का रास्ता अपनाया। उनके सेवा–विस्तार के लिए सरकार ने नवंबर 2022 में उनके रिटायर होने से तीन दिन पहले भारत के राष्ट्रपति के अनुमोदन के साथ दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 और केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 में संशोधन करते हुए दो अध्यादेश पारित कर दिए गए; और इन संशोधनों का इस्तेमाल करते हुए मिश्रा को एक साल का अन्य सेवा–विस्तार दे दिया गया। इससे दो बातें सामने आती हैं:

1. ये संशोधन जस्टिस एल. नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली पीठ के उस फैसले को निरस्त करने के मकसद से किए गए जिसमें कहा गया था कि ईडी के डायरेक्टर को आगे कोई सेवा–विस्तार नहीं दिया जाएगा।

2. दो अधिनियमों में इन संशोधनों का मकसद एक व्यक्ति को फायदा पहुंचाना था जिसका नाम है संजय कुमार मिश्रा। इन संशोधनों का अन्य कोई उद्देश्य नहीं था।

सरकार की इस कार्रवाई के खिलाफ मामला फिर सुप्रीम कोर्ट गया। इसके सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बी. आर. गवई, जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संजय करोल की पीठ ने ईडी के डायरेक्टर के नवंबर 2022 के बाद एक साल के सेवा–विस्तार के सरकार के कदम को अवैध ठहराया।

सितंबर 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि एन्फोर्समेंट डायरेक्ट्रेट के प्रमुख संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल को आगे न बढ़ाया जाए। मोदी सरकार ने इस आदेश का सरासर उल्लंघन करते हुए उनके कार्यकाल को पहले एक साल के लिए बढ़ा दिया। सरकार यहीं पर ही नहीं रूकी, इस एक साल की समाप्ति के बाद उनका कार्यकाल एक और साल के लिए बढ़ा दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ मोदी सरकार द्वारा संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल को इस प्रकार दो बार सेवा–विस्तार दिया जाना सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का मामला बनता है। सुप्रीम कोर्ट की अवमानना पर जो सजा मिलनी चाहिए, प्रधानमंत्री को वह सजा दी जानी चाहिए थी। हैरानी की बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें इस अवमानना के लिए दंडित नहीं किया।

जिस समय सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन करते हुए सरकार ने मिश्रा के लिए सेवा– विस्तार किया था, उस समय देश के अंदर इसके खिलाफ आवाज उठी थी। किसी एक व्यक्ति को फायदा पहुंचाने के लिए दो कानूनों में संशोधन कर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को निरस्त कर ईडी के डायरेक्टर के कार्यकाल को सुप्रीम कोर्ट के आगाह किए जाने (कि उनके कार्यकाल को नवंबर 2022 के बाद नहीं बढ़ाया जाएगा) के बावजूद जब सरकार ने एक साल के लिए बढ़ाया, उस समय यदि इस मामले में सुप्रीम का फैसला तुरंत आ जाता तो मिश्रा नवंबर 2022 से 31 जुलाई तक ईडी के डायरेक्टर के तौर काम नहीं कर सकते थे। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट का फैसला देर से आने के कारण मिश्रा को नवंबर 2022 के बाद सेवा–विस्तार देने का सरकार का मंसूबा तो पूरा हो ही गया।

11 जुलाई 2023 के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने संजय मिश्रा के जुलाई 2022 के बाद सेवा–विस्तार को अवैध ठहराने के साथ–साथ पर दो कानूनों–दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 और केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 में संशोधन के सरकार के कदम को सही ठहराया। यह अत्यंत चिंताजनक बात है। इसका अर्थ यह निकलता है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले को निरस्त करने के लिए संबंधित कानून में संशोधन कर सकती है।

ईडी के सर्वोच्च स्तर के किसी अधिकारी विशेष को फायदा पहुंचाने के लिए, उसे एक के बाद दो,और दो के बाद तीसरा सेवा–विस्तार दिए जाने के सरकार के कदम से उच्चतम स्तर के अन्य अधिकारियों को एक सीधा संदेश मिलता है–यदि सेवा–विस्तार पाना है तो सरकार की हाँ में हाँ मिलाओ, सरकार के इशारे पर काम करो संविधान के अनुसार काम करने की जरूरत नहीं। इससे सरकार के उच्चतम स्तर पर बैठे अधिकारियों की निष्ठा, निष्पक्षता और ईमानदारी पर सीधा असर पड़ता है।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा दो कानूनों–दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 और केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 में संशोधन के सरकार के कदम को सही ठहराने पर चिंता व्यक्त करते हुए (द हिन्दू 13 जुलाई 2023) ने लिखा है:

स्वायत्तता को कमजोर करना

ईडी एवं सीबीआई के प्रमुखों को टुकड़ा–टुकड़ा कर सेवा–विस्तार उनकी स्वतंत्रता के लिए हानिकर

केंद्र सरकार द्वारा 2021 में दो कानूनों में किए गए संशोधनों को सुप्रीम कोर्ट द्वारा सही ठहराए जाने के जांच एजेंसियों के प्रमुखों को बार–बार सेवा–विस्तार की इजाजत मिलती है जो उनकी संस्थागत स्वतंत्रता की रक्षा के ध्येय के लिए एक हानिकारक बात है। अदालत के फैसले का वह हिस्सा स्वागतयोग्य हो सकता है जिसमें ईडी के डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा को दिए गए एक सेवा–विस्तार को निरस्त किया गया है, फैसले का बाकी हिस्सा सरकार को इन संस्थाओं की स्वायत्तता को कमजोर करने का खुला रास्ता प्रदान करता है। अदालत ने मिश्रा को 31 जुलाई पद से हट जाने के लिए कहा है। 2021 में, अदालत ने सरकार को निर्देश दिया था कि उन्हें उस साल नवंबर के बाद कोई सेवा विस्तार न दे। अब अदालत ने फैसला किया है कि यद्यपि सरकार किसी फैसले के आधार को कानून के जरिये निरस्त कर सकती है, वह अदालत के निर्देश को निष्प्रभावी नहीं कर सकती। मिश्रा को 2018 में दो साल के लिए नियुक्त किया गया था परंतु 2020 में उसे तीन साल का कार्यकाल बनाने के लिए मूल नियुक्ति आदेश को पूर्वव्यापी प्रभाव से संशोधित कर दिया गया। सेवा निवृत्ति की आयु पार करने के बाद भी उन्हें 2021 और 2022 में दो बार वार्षिक सेवा–विस्तार दिया गया। सरकार ने अदालत के पहले आर्ब्जवेंशन, कि इस प्रकार का सेवा विस्तार केवल, ''दुर्लभ एवं असाधारण मामलों'' में ही दिया जा सकता है, को अनदेखा कर दिया। परंतु 11 जुलाई 2022 के फैसले की अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि इसने सरकार को यह इजाजत दे दी है कि वह सीबीआई और ईडी के डायरेक्टर को पांच साल तक का सेवा विस्तार दे सकती है।

सीबीआई और ईडी के प्रमुखों के लिए नियम है कि जब वह नियुक्त किए जाएंगे, उनकी सेवा निवृत्ति कभी भी होने वाली हो, उसके बावजूद, उन्हें दो साल का कार्यकाल मिलेगा। अब सरकार को शक्ति मिल गई है कि वह पांच साल तक का सेवा–विस्तार कर सकती है जिसमें किसी अधिकारी को तीन बार वार्षिक तौर सेवा–विस्तार मिल सकता है। इस मामले में मिश्रा को 2022 के बाद सेवा–विस्तार को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं ने, और साथ ही अदालत द्वारा नियुक्त एमिकस क्यूरी (न्याय मित्र) ने, तर्क दिया था कि ऐसे अधिकारियों को सेवा विस्तार देने से इन पदों की स्वतंत्रता कमजोर होगी और सरकार को ऐसा हथियार मिल जाएगा जिससे इनके डायरेक्टर सरकार के इशारे पर नाचने लगेंगे। कोई अधिक औचित्य न देते हुए अदालत ने उनकी इस दलील को खारिज कर दिया कि दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 और केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 में किए गए संशोधन सुप्रीम कोर्ट के पहले उन फैसलों के विपरीत है जिनमें कहा गया था कि उन्हें बाहरी दबावों से बचाए रखने क लिए सीबीआई और ईडी के प्रमुखों का दो साल का निश्चित कार्यकाल होना चाहिए। यह हैरानी की बात है कि अदालत ने फैसले में कहा है कि इन दो कानूनों में संशोधनों से किन्हीं बुनियादी अधिकारों का उल्लंघन नहीं होता क्योंकि सरकार को इस इजाजत दिए जाने से, कि वह ऐसे डायरेक्टरों को नियुक्त कर सकती है जो राजनीतिक इशारों पर आधारित होकर चुन सकते हैं कि किस मामले में जांच करनी है और किस मामले में नहीं, समान बर्ताव और निष्पक्ष जांच के नागरिकों के अधिकारों का हनन नहीं होता है। आज के समय में, जबकि राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ सरकारी एजेंसियों के दुरूपयोग के संबंध में संदेह के बादल छाए हुए हैं, अदालत द्वारा कार्यकाल विस्तार के ऐसे सिस्टम का अनुमोदन किया जाना, जो इन एजेंसियों की स्वतंत्रता को कमजोर करने के लिए बनाया गया है, कानून के शासन के लिए सही नहीं है।

बेरोजगारी दर 8 प्रतिशत से ऊपर पहुंची

मोदी सरकार अपनी उपलब्धियों के बारे में कितना भी डंका पीटती रहे, देश में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी इस बात का प्रमाण है कि उपलब्धियों के ये दावे सरासर मिथ्या प्रचार हैं। जून के महीने में देश में बेरोजगारी दर 8 प्रतिशत ज्यादा हो गई। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट बताती है कि देश में मई में बेरोजगारी दर 7.68 प्रतिशत थी जो जून में बढ़कर 8.45 प्रतिशत हो गई।

लखनऊ में वामपंथी पार्टियों का संयुक्त कार्यकर्ता कन्वेंशन

लखनऊः विगत 27 जून 2023 को लखनऊ के दारुलशफा के ए ब्लॉक के काफमन हॉल में वामपंथी जनवादी पार्टियों का एक राज्यस्तरीय कन्वेंशन संपन्न हुआ।

उक्त सम्मेलन में उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले से वामपंथी कार्यकर्तागण उपस्थित रहे। वो यह फैसला लेने के लिए लखनऊ में एकत्रित हुए कि 2024 के लोकसभा के चुनाव में आरएसएस/भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी एवं सांप्रदायिक सरकार को केंद्रीय सत्ता से हटाना है।

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एवं अन्य वामपंथी पार्टियों के संयुक्त प्रयासों से करोना काल निकल जाने के पश्चात इस प्रकार का पहला राजनैतिक कन्वेंशन था। उत्तर प्रदेश में वामपंथी पार्टियों का शीर्ष नेतृत्व इस सच्चाई को भलीभांति समझता है कि वामपंथी जनवादी शक्तियों की जन पहल प्रदेश में एक जन पक्षीय राजनीतिक विकल्प की दिशा को आगे बढ़ाने के लिए बड़ी कारगर सिद्ध होगी और संयुक्त प्रयास उसको आवश्यक उर्जा प्रदान करेंगे।

लखनऊ कन्वेंशन की तैयारी के लिए जब बैठक हो रही थी तो उस समय विरोधी दलों के 23 जून के पटना सम्मेलन का टाइम तय नहीं हो पाया था। परंतु 27 जून के सम्मेलन के पहले पटना में हुए 23 जून के सम्मेलन ने 27 जून के सम्मेलन को वैचारिक ऊर्जा प्रदान की।

सम्मेलन की अध्यक्षता एक अध्यक्षमंडल ने की। जिसमें भाकपा के राष्ट्रीय नेता डॉ. गिरीश, लोकतांत्रिक जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष जुबेर अहमद कुरेशी, सीपीएम राज्य सचिवमंडल की सदस्य मधु गर्ग, सीपीआई (एमएल) के राज्य सचिवमंडल के सदस्य रमेश सेंगर, ऑल इंडिया फारवर्ड ब्लाक के उत्तर प्रदेश के महामंत्री उदयनाथ सिंह तथा जन एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री डीके यादव थे।

मंच पर ही भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव अरविन्द राज स्वरूप, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मा) के राज्य सचिव डॉ. हीरालाल, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (एमएस) लिबरेशन के राज्य सचिव सुधाकर यादव भी उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन अध्यक्षमंडल के निर्देश पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव अरविन्द राज स्वरुप ने किया।

सम्मेलन बड़ी गर्मजोशी से शुरू हुआ और अनेक वर्षो के बाद दारुलशफा में कम्युनिस्टों के नारे गूंजे। ज्ञात हो कि दारुलशफा विधायक निवास भी है।

सम्मेलन की तैयारी भली–भांति हुई थी। नेतृत्व ने संयुक्त रूप से तय किया था कि कौन सा दल कितने प्रतिनिधियों को सम्मेलन में लेकर आएगा, क्योंकि हॉल की क्षमता के आधार पर उस संख्या को तय किया गया था। परंतु राजनीतिक कार्यक्रम को नीचे तक कुशलतापूर्वक संपन्न करवाने हेतु यह दिशा निर्देश दिए गए थे कि प्रत्येक जिले के जिला मंत्री और उक्त जिले के प्रमुख 2/3 नेताओं का आना बेहद लाजमी है। लोगों में उत्साह था इसलिए सम्मेलन हॉल की क्षमता से अधिक प्रतिनिधि प्रदेश के दूर–दूर जिलों से आ गए। पश्चिम से यदि सहारनपुर से पूरब से गाजीपुर, बलिया, मऊ, आजमगढ़ से उत्तर प्रदेश के दक्षिण में बुंदेलखंड से ललितपुर से तथा मध्य उत्तर प्रदेश से फैजाबाद, बाराबंकी सुल्तानपुर कानपुर नगर, उन्नाव, इलाहाबाद प्रतापगढ़ मुरादाबाद, बरेली, लखनऊ आदि जिलों से कार्यकर्तागण एवं नेतागण उल्लासपूर्वक एकत्रित हुए। कन्वेंशन में महिला प्रतिनिधियों तथा विद्यार्थी, नौजवान प्रतिनिधियों की भी उपस्थिति थी।

कन्वेंशन के प्रारंभ में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मा) के राज्य सचिव डॉ. हीरालाल ने उपस्थित प्रतिनिधियों के समक्ष तयशुदा आधार पत्र पेश किया।

आधार पत्र पेश करते हुए उन्होंने कहा कहा कि केंद्र की भाजपा मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश की भाजपा की योगी सरकार नव उदारवादी नीतियों को लागू करने में आक्रामक तरीके से आगे बढ़ रही है। राष्ट्रीय संपत्तियों की लूट, सार्वजनिक क्षेत्रों में सार्वजनिक सुविधाओं का बड़े पैमाने पर निजीकरण धड़ल्ले से जारी है। सांप्रदायिक कारपोरेट गठजोड़ मजबूत हुआ है और तानाशाही हमले बढ़ रहे हैं। भाजपा सरकार फासीवादी, आरएसएस के एजेंडे को आगे बढ़ाने में लगी है और हमारी संवैधानिक संरचना को खतरा पैदा कर रही है। भाजपा सरकार की नवउदारवादी और निजीकरण की नीतियों ने एक तरफ पूंजीपतियों के मुनाफे में वृद्धि की है तो दूसरी तरफ आम जनता को चौतरफा मुश्किलों में डाल दिया है।

अरविन्द राज स्वरूप

पिछले 10 वर्षो में देश देश की संपत्ति में जो वृद्धि हुई उसका 40 प्रतिशत हिस्सा 1 प्रतिशत जनसंख्या के पास और मात्र 3 प्रतिशत हिस्सा 50 प्रतिशत आबादी को मिला। पिछले 2 वर्षो में अरबपतियों की संख्या 102 से बढ़कर 166 हो गई। दूसरी ओर भारत में भूखों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हुई है।

बढ़ती महंगाई, मूल्य वृद्धि ने जनता का जीना मुश्किल कर दिया है। विश्व बैंक के अनुसार युवा बेरोजगारी में भारत विश्व में सर्वोपरि है। हर परिवार बेरोजगारी के बोझ से परेशान है। मेहनतकशों, मजदूरों, किसानों, खेत मजदूरों के हितों के विरुद्ध भाजपा सरकार संसद में काले कानून पारित करा रही है। लेबर कोड, कृषि कानून संशोधन बिल कुछ इसके उदाहरण हैं।

भाजपा सरकार और आरएसएस द्वारा सांप्रदायिक हिंदुत्व के एजेंडे को लागू करने के लिए संविधान, धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र, सामाजिक न्याय और संघीय ढांचे पर हमला किया जा रहा है। भारत की विविधता और एकता विरोधी हिंदुत्व की विचारधारा को स्थापित करने हेतु इतिहास के पाठ्यक्रम में परिवर्तन किये जा रहे हैं। शिक्षा का केंद्रीयकरण, बाजारीकरण और संप्रदायिकरण के लिए नई शिक्षा नीति लाई गई है। भाजपा सरकार जनविरोध, सांप्रदायिक नीतियों को लागू करने के लिए लोकतंत्र को कुचल रही है और तानाशाही के रास्ते अख्तियार कर रही है। ईडी, सीबीआई तथा कड़े कानूनों का इस्तेमाल कर विरोधियों को जेल भेजने का सिलसिला जारी है। चुनाव आयोग और न्यायपालिका को भाजपा सरकार के पक्ष में करने का प्रयास हो रहा है। जनता को भ्रमित करने हेतु मोदी सरकार अंधाधुंध जनता का पैसा खर्च कर रही है। पिछले 8 वर्षो में औसतन लगभग एक करोड़ 46 प्रचार में खर्च किया गया है।

उत्तर प्रदेश में बुलडोजर पुलिस राज्य कायम है। मुख्यमंत्री न्याय प्रणाली के ऊपर बैठकर स्वयं दंड देने का पुलिस को निर्देश देते हैं और फर्जी एनकाउंटर के माध्यम से कानून व्यवस्था दुरुस्त करने का दावा करते हैं। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक बलात्कार वाला प्रदेश है। अल्पसंख्यक दलित और महिलाएं बदस्तूर हमले की शिकार है। गांव और शहरों में गरीबों और जंगलों में आदिवासियों को उजाडा जा रहा है। कृषि संकट बढ़ा है और मनरेगा में काम मिलना बंद है। सार्वजनिक महंगी बिजली के बावजूद,किसानों और बुनकरों के फ्लैट रेट खत्म कर दिए गए हैं। नलकूपों पर मीटर लगाए जा रहे हैं। योगी सरकार की नीतियों के कारण आवारा पशुओं ने समूची खेतों को तहस–नहस कर दिया है।

जहां भाजपा के मोदी और योगी राज में आम आदमी का जीवन चौतरफा समस्याओं से ग्रस्त है वही इनकी जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जन प्रतिरोध भी उभरे हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ शहादतपूर्ण लंबे किसान आंदोलन की जीत हुई। कर्नाटक विधानसभा की हालिया चुनाव में जनता ने भाजपा को नकार दिया और वह एक तिहाई सीटें भी नहीं जीत पाई। उत्तर प्रदेश को सांप्रदायिकता का केंद्र बना दिया गया है। जन समस्याओं से जनता का ध्यान हटाने के लिए मंदिर मस्जिद के मुद्दों को चलाने पर भाजपा ने पूरी ताकत लगा रखी है।

आधार पत्र में आगे कहा गया कि उत्तर प्रदेश में वामपंथी जनवादी दलों ने तय किया है कि भाजपा सरकारों की जनविरोधी सांप्रदायिक और तानाशाही पूर्ण नीतियों एवं विचारधारा के खिलाफ जनता को लामबंद करने का अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत लखनऊ में एक बड़ी रैली 11 अक्टूबर 2023 को आयोजित की जाएगी। जनजीवन, जीविका, धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए यह कन्वेंशन मजदूर, किसानों, बुनकरों, कर्मचारियों, छात्रों और युवाओं तथा महिलाओं से अपील करता है कि अभियान में समर्थन दें और सफल बनाएं।

आधार पत्र में इंगित किया गया है कि अक्टूबर माह में होने वाली रैली से पहले कुछ प्रमुख जिलों, वाराणसी, गाजीपुर, मिर्जापुर, इलाहाबाद, सुल्तानपुर कानपुर, मुरादाबाद आदि में जिला स्तरीय कन्वेंशन का आयोजन किया जाए।

पदयात्राओं, जत्थों, गांव सभाओं, पर्चो, सांस्कृतिक कार्यक्रमों आदि द्वारा जनता के बीच में जाया जाएगा। जुलाई माह में जिलों में वाम जनवादी दलों की बैठक कर तैयारी की रूपरेखा बनाई जाएगी तथा अभियान संयुक्त एवं स्वतंत्र दोनों तरह से चलाया जाएगा।

अभियान के दौरान स्थानीय समस्याओं को भी प्रमुखता से उठाया जाएगा।

सितंबर माह के आखिर में 1 जनवरी दलों के प्रदेश नेतृत्व द्वारा संयुक्त प्रेस कांफ्रेंस आयोजित की जाएंगी। जैसा कि आधार पत्र में पहले भी उल्लेख किया गया है 11 अक्टूबर 2023 को लखनऊ में राज्य स्तरीय

विशाल रैली आयोजित की जाएगी जिसमें पार्टियों के राष्ट्रीय नेतृत्व को आमंत्रित किया जाएगा।

आधार पत्र के प्रस्तुतीकरण के पश्चात वामपंथी नेताओं ने उसके समर्थन में अपने विचारों को व्यक्त किया। इस कड़ी में सबसे पहले भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य एवं उत्तर प्रदेश पार्टी के सह प्रभारी डॉ. गिरीश ने अपने विचारों को प्रस्तुत किया। डॉ. गिरीश ने अपने संबोधन में कहा कि यह बहुत ही खुशी की बात है और समय अनुकूल है कि वामपंथी पार्टियां कन्वेंशन में एक साथ बैठी हुई हैं। कभी ऐसा भी था जब वह एक दूसरे के साथ बैठती नहीं थी पर परिस्थितियां बदली और सब एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस समय बैठे हुए हैं। उन्होंने आधार पत्र के बिंदुओं का उल्लेख करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार महिला विरोधी है उन्होंने उदाहरण देते हुए और व्यंग्य करते कहा कि महिला खिलाड़ियों के यौन शोषण और उनकी प्रतिष्ठा पर दांव लगाने वाले के विरुद्ध बुलडोजर कहां चला गया? उन्होंने कहा कि यदि बुलडोजर एकतरफा चलेगा तो वामपंथी दलों के कार्यकर्ता उसको पकड़कर रोकेंगे। उन्होंने कहा कि पुराने संसद भवन के स्थान पर नया संसद भवन इसलिए बनाया गया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कभी स्वाधीनता आंदोलन में भागीदारी नहीं की जिसके चलते आजादी प्राप्त हुई थी। इसीलिए ऐसा भवन नया बना दिया गया जिसके कुछ आदर्श के प्रतीक ना हो। जिस तरीके से नए भवन का उद्घाटन किया गया उसमें संविधान में दर्ज सारे मूल्यों को उठा कर किनारे कर दिया गया। उन्होंने कहा 2024 में जब सत्ता परिवर्तन होगा तो फिर इस नवीन भवन के बारे में भी तत्कालीन सरकार को अच्छी तरह से सोचना होगा। उन्होंने अपने संबोधन में कार्यकर्ताओं का आवाहन किया कि उनको संविधान को बदलने की कोशिशों को रोकना होगा। यह सरकार एक धर्मनिरपेक्ष संविधान को बदलकर हिंदुत्व का प्रचार करने में दिन–रात लगी लगी हुई है। इसको देश स्वीकार नहीं कर सकता और यह सरकार निरंतर ऐसे मुद्दे लाती है जिससे देश में भी विग्रह की स्थिति पैदा हो। हिंदू मुस्लिम हिंसा हो, दंगे हो और इसी उद्देश्य से अब यह सरकार कॉमन सिविल कोड लाने की चेष्टा कर रही है। जनता को इसको समझना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि आरएसएस 1925 से अब तक एक ऐसा निकृष्ट काम करती आई है कि जिस को अब पूरी तरीके से देश द्वारा समझ लिया गया है और वह यह है कि जहां भी देश के जिस भी हिस्से में देश की जनसंख्या के विभिन्न समूहों में अंतर्विरोध हो तो उन को और बढ़ाया जाए और उसका राजनीतिक लाभ उठाया जाए। यह काम वो बखूबी करती आई है और इसी का कारण है कि मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है परंतु वहां पिछले 1 महीने से अधिक से समाज में विग्रह की स्थिति पैदा हो चुकी है और लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं। इस सब की जिम्मेदार अगर कोई है तो वह भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की नीतियां हैं जनता को इस से लड़ना पड़ेगा उन्होंने कहा कि कुछ लोग पीडीए की बात करते हैं पर वास्तव में जीवन में तो पीडीए को फेल कर दिया। संप्रदाय गठजोड़ को हराने के लिए वामपंथी जनवादी शक्तियों को एक होना पड़ेगा। तभी उन को हराया जा सकता है। छोटे दायरों में बांधकर और नारे लगाकर ऐसा करना संभव नहीं हो पाएगा और यह बात नेताओं को अच्छी तरह से समझनी ही पड़ेगी। उन्होंने यह भी कहा कि अगर उत्तर प्रदेश में अन्य जनवादी पार्टियों ने वामपंथियों को नजरअंदाज न किया होता तो आज उत्तर प्रदेश की स्थिति दूसरी होती। उन्होंने कहा अभी समय है और 2024 में उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दी जा सकती है और उसके लिए मन खुला करके जनवादी पार्टियों को वामपंथी पार्टियों के साथ दोस्ताना व्यवहार करना पड़ेगा।

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (एमएल) लिबरेशन के राज्य सचिव सुधाकर यादव ने आधार पत्र का समर्थन करते हुए कहा इस नाजुक दौर में यह बैठक अत्यंत महत्वपूर्ण है। एकता, विश्वास के साथ वर्तमान परिस्थितियों को बदलना है। जनता के सवालों को उठाते रहना है और सांप्रदायिकता को खत्म करने के लिए निरंतर शांति और एकता का माहौल समाज में कार्यकर्ताओं को बनाना पड़ेगा। देश में जो परिस्थितियां बन चुकी हैं उसमें यह संभव है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी को हराया जा सकता है और एक वैकल्पिक नीति की सरकार बनाई जा सकती है।

आधार पत्र का समर्थन करते हुए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव अरविंद राज स्वरूप ने कहा कि आज पूरे प्रदेश से हमारे कार्यकर्ता जुटे हैं। जिलों के नेता जुटे हैं और राज्य के नेता जुटे हैं। उनको इस बात का अच्छी तरीके से अहसास है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के राज में देश का गणतंत्र, देश का जनवाद, देश की मिली जुली संस्कृति, देश का संविधान, सब कुछ खतरे में है। आजादी के आंदोलन के सारे मूल्य खतरे में है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने मनुष्य की गरिमा को समाप्त कर दिया है। उसको विभिन्न जातियों और धर्मों में विभाजित कर दिया है और उसको निरंतर वैमनस्यता के आधार पर हवा दी जाती है। स्वरूप ने कहा कि इन परिस्थितियों को राज्य केंद्र और जिले की लीडरशिप मिलकर बदल सकते हैं। इसीलिए यह कन्वेंशन आयोजित किया जा रहा है और इसीलिए अक्टूबर में विशाल रैली आयोजित की जाएगी। आधार पत्र में जो काम गिनाए गए हैं उनको कार्यकर्ताओं को तन, मन, धन से पूरा करना है। अगर गणतंत्र ही नहीं बचेगा तो फिर कुछ भी नहीं बचेगा। श्री मोदी के शासनकाल में देश की जनता ने पिछले 9 वर्षों में उनकी सारी नीतियों को देख लिया है वह जग उजागर हो गई है। देश को पूंजीपतियों को गिरवी रखो, पूंजीपतियों के हितों को साधो और जनता के ऊपर मुसीबतें बढ़ाओ। जब जनता सवाल करने लगे तो ऐसी स्थितियां पैदा कर दो कि सरकारी नीतियों के द्वारा, उसके प्रशासन के द्वारा यह लोग आपस में ही लड़ने लगे। कभी धर्म के सवाल पर, कभी जाति के सवाल पर लोगों का ध्यान महंगाई, बेरोजगारी, सांप्रदायिकता, रोजगार आदि महत्वपूर्ण मसलों से हटाया जा रहा है। अरविंद राज स्वरूप ने जोर देकर कहा कि वर्तमान में देश की जनता करवट ले रही है और इसके सबसे बड़ा उदाहरण कर्नाटक की जनता बन चुकी है। वहां पर भारतीय जनता पार्टी की और आरएसएस की मिली जुली सरकार की नीतियों ने मुंह की खाई है। देश की जनता ने तजुर्बे से नोट किया है। इसीलिए हमें पूरा यकीन है कि वामपंथी दल जब जुड़ेंगे और अन्य जनवादी दलों का भी आवाहन होगा और वह भी स्थितियों को समझेंगे जैसा कि राष्ट्र के स्तर पर पटना में 23 जून को हुई मीटिंग में समझा गया, तो 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हराया जा सकेगा और उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी शिकस्त दी जा सकती है।

इस अवसर पर लोकतांत्रिक जनता दल के प्रादेशिक अध्यक्ष श्री जुबेर अहमद कुरैशी ने अपने संबोधन में कहा कि जनवादी शक्तियों को वामपंथियों के साथ मिलकर एकता स्थापित करनी होगी। उन्होंने कहा इस काम के लिए समाजवादी पार्टी को आगे आना होगा और जब लाल झंडा जिलों–जिलों में जनवादी शक्तियों के साथ मिलकर घूमेगा तो राजनीतिक संतुलन भी बदलेगा और जिस तरीके से सांप्रदायिक नीतियों के चलते मुस्लिम अल्पसंख्यकों को सरकार के द्वारा निशाने पर रखा जा रहा है वह भी रुक पाएगा। इस कार्य के लिए सभी धर्मनिरपेक्ष दलों को एक साथ आने की आवश्यकता है। ऐसा संबोधन करते हुए उन्होंने आधार पत्र का समर्थन किया।

ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के उत्तर प्रदेश के महामंत्री उदयनाथ सिंह ने अपने संबोधन में कहा देश और प्रदेश वासी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को न भूले। नेताजी जब देश की आजादी के लिए लड़ रहे थे तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वाले नेता जी का ही विरोध कर रहे थे और आज उन्होंने देश की हालत खराब कर दी है इसलिए वामपंथी जनवादी शक्तियां 2024 के चुनावों में इन सांप्रदायिक शक्तियों को परास्त करेंगी और ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक अपनी पूरी ताकत से लगेगा।

इस अवसर पर जन एकता मंच के प्रादेशिक अध्यक्ष श्री डीके यादव ने भी वामपंथी दलों और जनवादी शक्तियों का आवाहन किया कि वह संयुक्त रूप से भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए जुटे उन्होंने समाजवादी पार्टी का भी आवाहन किया कि वह ऐसा ऐसा करें और उसकी कोशिश करें।

प्रमुख पदाधिकारी वक्ताओं के अतिरिक्त अन्य वामपंथी नेताओं ने भी अपने विचारों को रखा। जिसमें सीपीएम से प्रेम नाथ राय, मधु गर्ग, बीएल भारती तथा बाबू राव यादव, सीपीआई से फूलचंद यादव, महेंद्र राय, सीपीआई (एमएल) से रमेश सिंह सेंगर, सुनील कुमार मौर्य, आयुष श्रीवास्तव प्रमुख थे।

कन्वेंशन के अंत में अध्यक्षमंडल के द्वारा आधार पत्र पर उपस्थित प्रतिनिधियों की राय मांगी गई। उपस्थित प्रतिनिधियों में आधार पत्र को जोशो खरोश के साथ तथा बुलंद नारों के बीच सर्वसम्मति से स्वीकार किया।

अध्यक्षमंडल की ओर से उत्तर प्रदेश के दूर–दूर जिलों से आए कार्यकर्ताओं को धन्यवाद ज्ञापित किया गया और कहा गया कि बावजूद भयानक गर्मी के इन साथियों ने यहां पर आकर इस कन्वेंशन को कामयाब बनाया तो निश्चय ही जो कन्वेंशन ने आगे के कार्यक्रम आयोजित करने का ऐलान किया है जिसमें अक्टूबर माह में लखनऊ में बड़ी विशाल रैली होगी और उससे जुड़े हुए समस्त कार्यक्रमों को आए हुए नेता एवं कार्यकर्ता गण अपने जिलों में कामयाब करेंगे।

उत्तर प्रदेश के इस कन्वेंशन में 23 जून 2023 को पटना में संपन्न हुए विपक्षी राजनीतिक दलों के सम्मेलन में लिए गए निर्णय का पूरी तरीके से समर्थन और स्वागत किया गया।

अध्यक्ष मंडल ने गगनभेदी नारों के बीच कन्वेंशन के समाप्ति का ऐलान किया।

बिजली कानून में संशोधन और बिजली की बढ़ी दरों के खिलाफ आंध्रप्रदेश में प्रदर्शन

राम नरसिम्हा राव

मोदी सरकार के तथाकथित बिजली सुधारों के खिलाफ और राज्य की जगनमोहन रेड्डी सरकार द्वारा स्मार्ट मीटरों के लगाए जाने और बिजली की दरों में भारी वृद्धि के खिलाफ आंध्रप्रदेश में 10 वामपंथी पार्टियों ने 7 जुलाई 2023 को राज्य भर में विरोध प्रदर्शन किए।

विशाखापट्टनम में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भाकपा (मा), भाकपा (एमएल) न्यू डेमोक्रेसी, एमसीपीआई आदि के तत्वावधान में एपीईपीडीसीएल के सीताम्मधारा स्थित सीएमडी कार्यालय पर जबर्दस्त प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर संबोधित करते हुए भाकपा राज्य सचिव के. रामकृष्णा ने आंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी पर आरोप लगाया कि वह सरचार्जों के नाम पर बिजली की दरों में बढ़ोतरी कर जनता से पैसा छीन रहे हैं। उन्होंने प्रश्न किया कि उन्हें स्मार्ट मीटर लगाने के लिए किसने कहा था? स्मार्ट मीटर से जनता को तो कोई फायदा पहुंचता नहीं तो फिर इन्हें लगाने के पीछे कारण क्या है? जब जगनमोहन रेड्डी विपक्ष में थे तो उन्होंने तत्कालीन तेदेपा सरकार की यह कहकर भर्त्सना की थी कि वह बिजली की दरें बढ़ाकर आम आदमी पर बोझ डाल रही है। परंतु स्वयं उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के बाद बिजली की दरों में कई बार वृद्धि की है। यह जनता पर भारी बोझ है, यही कारण है कि सभी दस वामपंथी पार्टियों ने एकताबद्ध होकर इसके खिलाफ आवाज उठाने का फैसला किया।

उन्होंने कहा कि राजस्थान में स्मार्ट मीटर की कीमत 9,600 रु. है तो फिर आंध्र प्रदेश सरकार इस पर 36,976 रु. प्रति मीटर कैसे खर्च कर रही है? ऐसा लगता है कि बेनामी कंपनियों के जरिये जगनमोहन रेड्डी की निजी तिजोरियों को भरने के लिए करोड़ों रुपए ताड़ेपल्ली पैलेस को शिफ्ट किए जा रहे है। एक तरफ तो तेलंगाना है जहां की सरकार कह रही है कि वह बिजली सुधारों को लागू नहीं करेगी, आंध्रप्रदेश की निकम्मी सरकार में ऐसे कहने की हिम्मत क्यों नहीं है? उन्होंने कहा कि इस संघर्ष को जनसंघर्ष के अन्य जुझारू तरीकों से आगे बढ़ाया जाएगा।

विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व भाकपा राज्य सहसचिव जे.वी. सत्यनारायण मूर्ति, जिला सचिवमंडल सदस्य बी. गंगाराव, भाकपा (मा जिला सचिव एन. लक्ष्मी, भाकपा (एमएल) न्यू डेमोक्रेसी जिला सचिव पी. राजू और ए. विमला, एन कृष्णराव, जी. रामबाबू, जी अप्पाला राजू, एम सुब्बा राव, पी चंद्रशेखर, कुमारी सी.एन. क्षेत्रपाल आदि ने किया। प्रदर्शन में वामपंथी पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने भारी संख्या में हिस्सा लिया।

राज्य के अन्य अनक स्थानों–विजयवाड़ा, गुंटूर, एनटीआर जिला, तिरूपति, कुरनूल, नंदयाल, ऐलुरू, चल्लापली, नुजिवीडू, कोय्यलागुडम, कोंडुरू, मछलीपट्नम, श्रृंगावारापु कोटा, भीमवरम, ताड़ेपल्ली गुडम, चिन्तलपुडी आदि स्थानों पर वामपंथी पार्टियों ने प्रदर्शन किए और केंद्र के बिजली कानून 2020 के संशोधन बिल को वापस लेने, बिजली क्षेत्र के निजीकरण को समाप्त करने, सरचार्जो के जरिये बिजली की दरों को न बढ़ाने, स्मार्ट मीटरों को हटाने और बिजली के सही चार्ज लिए जाने की मांगें उठाई। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के विभिन्न नेताओं–राज्य सचिवमंडल के सदस्यों–जंगला अजय कुमार, रामचंद्रैया, डेगा प्रभाकर राव, राज्य कंटोल कमीशन के सचिव बी. वेंकटेशवर राव और पार्टी के राज्य कार्यकारिणी सदस्य–डोनेपुडी शंकर, कामेश्वर राव, रामानायडु आदि ने विभिन्न स्थानों पर प्रदर्शनों का नेतृत्व किया।

इप्टा की ग्रीष्मकालीन नाट्य प्रशिक्षण कार्यशाला का हुआ रंगारंग समापन

कोंचः भारतीय जन नाट्य संघ (इप्टा) कोंच इकाई द्वारा आयोजित 23वीं बाल एवं युवा रंगकर्मी नाट्य प्रशिक्षण कार्यशाला का रविवार को टीडी वैद स्मृति रंगमंच स्थल, अमरचंद्र माहेश्वरी इंटर कॉलेज में रंगारंग समापन हुआ। चेयरमैन प्रदीप गुप्ता ने कहा कि कोंच साहित्यिक, सांस्कृतिक प्रतिभाओं की भूमि है। बस, जरूरत है उन्हें तराशने की और ये काम इप्टा जैसी संस्थाएं बखूबी कर रही हैं। उनका प्रयास है कि कलाकारों की प्रस्तुति हेतु नगर पालिका उच्च कोटि का रंगमंच स्थल या ऑडिटोरियम का निर्माण कराए ताकि कलाकारों को मंचीय प्रस्तुति हेतु परेशान न होना पड़े।

पालिकाध्यक्ष प्रदीप कुमार गुप्ता के मुख्य आतिथ्य एवं इप्टा राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य राज पप्पन के विशिष्ट आतिथ्य में आयोजित समापन समारोह में इप्टा के रंगकर्मियों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां देकर तालियां बटोरीं। इप्टा की राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य राज पप्पन ने कहा की इप्टा लोक संस्कृति की संवाहक है। यह देश का एकमात्र सांस्कृतिक संगठन है, जिसका जन्म बंगाल के अकाल की कोख से हुआ और देश की आजादी के आंदोलन में बढ़–चढ़ कर हिस्सा लिया। इप्टा कोंच के संस्थापक अध्यक्ष डा. मोहम्मद नईम बॉबी ने कहा कि भारतीय सिनेमा के विकास, साहित्य सृजन के साथ– साथ जनसंस्कृति को विकसित करने में इप्टा का अहम् योगदान है। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए इप्टा कोंच इकाई के अध्यक्ष अनिल कुमार वैद एडवोकेट ने आभार जताया।

कुछ भूले बिसरे लम्हे

दैनिक जनयुग के संपादक कामरेड एच के व्यास उन दिनों पार्टी की ओर से पीपुल्स पब्लिशिंग हाऊस तथा साहित्यिक/सांस्कृतिक मोर्चा के इंचार्ज थे। पीपीएच में होने के चलते मुझे अक्सर उनसे मिलना होता था। उस दिन जब मैं उनके कमरे में दाखिल हुआ तो भीष्म साहनी को वहां बैठे पाया। व्यास जी ने मेरा परिचय कराया। भीष्म जी मेरे पिता से पूर्व परिचित थे। उनका खिला चेहरा और खिल उठा। उन्होंने तपाक से उठ कर गर्मजोशी से हाथ मिलाया। उनका हाथ मेरे हाथ में क्या आया, उन्हीं के समकक्ष तथा उन्हीं की तरह अपार ख्यातिप्राप्त कवि केदारनाथ सिंह की कविता की पंक्तियां एकदम से झिलमिला उठीं:

'उसका हाथ, अपने हाथ में लेते हुए मैंने सोचा,

दुनिया को हाथ की तरह ही गर्म और सुंदर होना चाहिए।'

बहरहाल, भीष्म जी ने मेरे काम तथा रहने की व्यवस्था आदि की जानकारी लेने के बाद पूछा, 'छुट्टी के बाद आज शाम का क्या प्रोग्राम है?'

'कोई खास नहीं!'

'तो आइए कनाट प्लेस। वहां मस्जिद से सटे ... मकान में। दिल्ली प्रलेस की तरफ से वहां हर शनिवार को गोष्ठी जमती है।' (मैं मकान का नाम भूल रहा हूं)

उन दिनों संभवतः कहानीकार केवल गोस्वामी दिल्ली प्रलेस के सचिव हुआ करते थे।

संयोग से उस दिन पीपीएच से निकलते थोड़ी देर हो गयी थी। मैं भागा भागा बताये पते पर पहुंच गया। छुट्टी के बाद प्रायः कनाट प्लेस में तफरीह करने की आदत के चलते जगह ढूंढने में दिक्कत नहीं हुई। वहां पहुंच कर देखता हूं कि तकरीबन आधे दर्जन लोग किसी के कहानी पाठ का आनंद ले रहे हैं। मैं चुपचाप पीछे बैठ गया।

लेकिन, सच पूछिए तो मेरे लिए वह पूरा दृश्य आनंद लेने की बजाय अवाक् होने का सबब था! मुट्ठी भर लोगों की उपस्थिति में ख्याति के शीर्ष पर पहुंचे महान उपन्यासकार भीष्म साहनी को जिस तन्मयता के साथ कहानी पाठ को ग्रहण करते देखा तो लगा मैं घने वन प्रांतर बीच किसी ऋषि आश्रम में पहुंच गया हूं!

वस्तुतः, मेरे लिए यह और आगे भी अपनी अपार लोकप्रियता के बावजूद छोटी–छोटी साहित्यिक/सांगठनिक गोष्ठियों और आंदोलनों के बहाव में भीष्म जी को पूरी तन्मयता के साथ बहते देखना अगाध साधना में लीन किसी तेजस्वी ऋषि की छवि से दो चार होने से जरा भी कम न था! और, अंततः उनकी यही छवि मेरे अंतर्मन में सदा के लिए अंकित हो गयी है।

उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें क्रांतिकारी सलाम।

सुमन्त

प्रभाकर चौबे स्मृति व्याख्यानमाला का छठवां आयोजन

प्रभाकर चौबे हमेशा एक स्पंदन की तरह महसूस किए जाते रहेंगे

प्रसिद्ध साहित्यकार, विचारक, संपादक और प्रगतिशील लेखक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्षमंडल के सदस्य रहे कामरेड प्रभाकर चौबे की स्मृति में प्रभाकर चौबे संवाद श्रृंखला–6 का आयोजन उनकी 5वीं बरसी के अवसर पर 21 जून 2023 को रात 8 बजे जूम द्वारा ऑनलाइन किया गया।

यह आयोजन दस्तक संवाद के सौजन्य एवं प्रभाकर चौबे फाऊंडेशन के सहयोग से आयोजित किया गया। जूम आयोजन का संचालन एवं संयोजन वरिष्ठ रंगकर्मी एवं इप्टा की राष्ट्रीय सचिवमंडल सदस्य उषा आठले ने किया। आयोजन में मुख्य वक्ता वरिष्ठ कथाकार उपन्यासकार रणेन्द्र, प्रगतिशील लेखक संघ के राष्ट्रीय सचिवमंडल सदस्य विनीत तिवारी ने अपने विचार व्यक्त किए। इसके साथ ही इप्टा के राष्टीय कार्यकारी अध्यक्ष राकेश वेदा एवं वरिष्ठ कवि पथिक तारक ने भी प्रभाकर चौबे के साथ बिताए अपने अनुभव साझा किए। आयोजन में प्रभाकर चौबे की समस्त कविताओं के संग्रह (ई बुक) प्रतिनिधि कविताओं के ऑनलाइन प्रकाशन का लोकार्पण किया गया।

आयोजन के प्रारंभ में उषा आठले ने प्रभाकर चौबे के बारे में जानकारी देते हुए उनके जीवन, व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर विस्तार से जानकारी दी। उषा आठले ने बताया कि प्रभाकर चौबे 5 दशकों से भी पहले प्रगतिशील लेकक संघ से जुड़े। एक साधारण सदस्य के रूप में जुड़े प्रभाकर चौबे ने प्रगतिशील लेखक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्षमण्डल के सदस्य तक का सफर तय किया एवं आजीवन प्रतिबद्ध रूप से संगठन से जुड़े रहे। उन्होंने बताया कि प्रभाकर जी प्रगतिशील लेखक संघ के अलावा, पार्टी से भी जुड़े थे। वे अखिल भारतीय शांति एवं एकजुटता संगठन के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य भी रहे साथ ही इप्टा से भी आजीवन सक्रिय रूप से संबद्ध रहे।

इसके पश्चात जीवेश प्रभाकर ने प्रभाकर चौबे की समस्त कविताओं के संग्रह (ई बुक) प्रतिनिधि कविताएं की लिंक एवं अन्य जानकारी दी। जीवेश ने बताया कि प्रभाकर चौबे की उपलब्ध समस्त कविताओं को इस संकलन में समाहित कर इसका डिजिटल एडीशन नॉटनल पर प्रकाशित किया गया है। इस संग्रह में प्रभाकर चौबे के कविता संग्रह खेल के बाद मैदान की समस्त कविताएं एवं उसके बाद की भी सारी कविताएं शामिल की गई हैं।

आयोजन की शुरुआत में वरिष्ठ कवि एवं दस्तक संवाद के संयोजक अनिल करमेले ने प्रभाकर चौबे के साथ अपने जुड़ाव एवं प्रांभिक मुलाकात का जिक्र करते हुए बताया कि उनके पहले कविता संग्रह के प्रकाशन की जानकारी प्रभाकर जी ने ही दी थी, तभी से वे लगातार उनसे जुड़े रहे। इसके पश्चात अनिल करमेले ने, विचारों की हत्या के गवाह, यूअर्स मोस्ट ओबिडियंट सर्वेट, खेल के बाद मैदान, अब नहीं आता कलई वाला सहित प्रभाकर चौबे की कुछ चुनिंदा कविताओं का पाठ किया।

जीवेश प्रभाकर

मुख्य वक्ता वरिष्ठ कथाकार उपन्यासकार रणेन्द्र ने अपने वक्तव्य में प्रभाकर चौबे को बहुच आत्मीयता से याद करते हुए कहा कि वे प्रभाकर जी को एक अभिभावक के रूप में याद करते हैं। इस तारतम्य में रणेन्द्र ने वरिष्ठ साहित्यकार खगेन्द्र जी को भी याद करते हुए कहा कि झारखंट में जिस तरह खगेन्द्र जी उन्हें स्नेह करते रहे वैसे ही उन्हें हमेशा लगता था कि रायपुर में बैठे एक प्रदेश के महासचिव और राष्ट्रीय अध्यक्षमंडल के सदस्य होने के बावजूद प्रभाकर जी भी उनकी चिंता कर रहे हैं और उन्हें उसी तरह एक अभिभावक के रूप में स्नेह करते हैं। उन्होंने अपने निजी अनुभव साझा करते हुए कहा कि जब उनकी भतीजी का धमतरी में नौकरी हेतु चयन हुआ तब प्रभाकर जी और जीवेश ने उन्हें आश्वस्त करते हुए सारी व्यवस्था करवाई। रणेन्द्र आगे कहा कि प्रभाकर चौबे लगातार उनके लिखने पढ़ने को लेकर बातचीत किया करते थे। उन्होंने प्रभाकर चौबे की कविताओं का जिक्र करते हुए कहा कि अखबार के कॉलम और रोजमर्रा की उथल पुथल पर अपनी कलम चलाने के बावजूद वे कविताएं लिखने का समय निकाल लेते रहे यह महत्वपूर्ण बात है और उनकी कविताओं में इसीलिए साधारण आदमी का दर्द महसूस किया जा सकता है।

रणेन्द्र ने प्रभाकर चौबे के लेखों का जिक्र करते हुए कहा कि वे वे बहुत बीारीकी से अवलोकन किया करते थे और उनका विश्लेषण एकदम सटीक हुआ करता था। प्रदेश की साहित्य संस्कृति पर प्रभाकर चौबे के लेखों और चिंता का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि प्रभाकर जी का आकलन और चिंता वाजिब ही थी जो हर राज्य में महसूस की जा रही है कि साहित्य और सरकार का रिश्ता बहुत घलमेल पैदा करता है और यदि यह सही हाथों में नहीं होगा तो नौकरशाह इसे अपनी मर्जी से हांकने लगते हैं। यह आज हर राज्य में महसूस किया जा रहा है। रणेन्द्र ने रहा कि प्रभाकर जी अपनी कविता की तरह खेल खत्म हो जाने के बाद आज भी और हमेशा एक स्पंदन की तरह पूरे मैदान में महसूस किए जाते रहेंगे।

इस बीच संचालन कर रहीं उषा आठले ने प्रभाकर चौबे को मिले सम्मानों की जानकारी देते हुए बताया कि प्रभाकर चौबे को मुक्तिबोध सम्मान, नारायणलाल परमार सम्मान एवं मायाराम सुरजन लोक चेतना सम्मान सहित महत्वपूर्ण सम्मानों से नवाजा गया। साथ ही उन्होंने प्रभाकर चौबे के रूस यात्रा की भी जानकारी दी। इसके साथ ही उषा आठले ने इस बात को भी विशेष रूप से रेखांकित किया कि प्रभाकर चौबे उन बिरले प्रगतिशीलों में हैं जिन्होंने अपनी बाद की दो पीढियों, अपने पुत्रों जीवेश एवं आलोक के साथ ही अपनी पोतियों साखी और सावेरी को भी प्रगतिशील मूल्यों से लैस व जागरूक बनाया।

इसके पश्चात प्रगतिशील लेखक संघ के राष्ट्रीय सचिवमंडल के सदस्य विनीत तिवारी ने प्रभाकर चौबे के संगठनात्मक व्यक्तित्व एवं निजी संबंधों पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि जिस तरह रणेन्द्र को प्रभाकर जी का सानिध्य खगेन्द्र जी के माध्यम से याद आता है वैसे ही मध्य प्रदेश वालों के लिए कमला प्रसाद एक धुरी हैं। विनीत ने कहा कि दरअसल खगेन्द्र जी, कमला प्रसाद जी और प्रभाकर जी प्रगतिशील लेखक संघ की उस पीढ़ी के वो मजबूत और सक्रिय स्तंभ रहे हैं जिन्होंने पूरा जीवन संगठन को समर्पित कर दिया। विनीत ने कहा कि प्रभाकर जी सभी को, चाहे वो युवा हो या उनका हमउम्र, पार्टनर कह कर संबोधित किया करते थे। विनीत ने कहा कि प्रभाकर जी के लेखन में उन्हें परसाई ओर मुक्तिबोध की छाप नजर आती है। छाप का अर्थ ये नहीं कि वो उनकी नकल करते रहे बल्कि प्रभाकर जी भी परसाई की तरह अपनी रचनाओं के माध्यम से लोक शिक्षण का महत्वपूर्ण करते रहे। वे उस पीढ़ी के लोग थे जो संबंधों को दीर्घकालिक बनाते थे बहुत आत्मीयता से निभाते थे। विनीत ने कहा कि वो पीढ़ी बहुत हिम्मती और बहादुर थी। अपनी बात सार्वजनिक रुप से बेधड़क कहने से डरते नहीं थे। बल्कि वो लोग अपने विचारों को साझा कर लोगों का दिमाग साफ करने की कोशिश किया करते थे। विनीत ने प्रभाकर चौबे के साथ अपनी सांगठनिक मुलाकातों और संबंधों का भी जिक्र करते हुए इस बात को भी रेखांकित किया कि प्रभाकर जी अपनी वरिष्ठता का दबका नहीं बताते थे बल्कि धैर्यपूर्वक युवाओं की बात सुनते और उनकी शंकाओं या गलतफहमियों को दूर किया करते थे साथ ही यदि कोई बात उचित लगे तो उसे स्वीकार करने का बड़ा दिल भी रखते थे। विनीत ने प्रभाकर चौबे की दो कविताओं पर भी अपनी बात रखते हुए कहा कि स्त्री पर प्रभाकर चौबे की कविता पढ़ते हुए उन्हें लगा कि प्रभाकर जी जैसे प्रगतिशाल सोच के व्यक्ति स्त्री के प्रति इसने रूढीवादी और परंपरागत सोच कैसे रख सकते हैं मगर जब आखिरी की लाइनें पढ़ीं तो पूरी कविता प्रगतिशील मुल्यों की वाहक के रूप में सामने आई। इसी तरह प्रभाकर चौबे की एक और कविता डेमोक्रेसी की रक्षा करते हम का जिक्र करते हुए विनीत ने कहा कि यह कविता एक पोस्चर की तरह है और यह भारतीय मध्य वर्ग के एवं मध्य वर्ग के प्रगतिशील तबके की मानसिकता को बखूबी उजागर करती है और हर काल में सामयिक रहेगी।

इसके पश्चात इप्टा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष राकेश ने प्रभाकर चौबे के साथ अपने संबंधों एवं अनुभवों को साझा किया। राकेश ने कहा कि लगभग पांच दशक पहले जब वे इप्टा से जुड़े तो उसके पश्चात राष्ट्रीय आयोजनों में लगातार प्रभाकर जी से उनकी मुलाकातें नियमित रूप से होती रहीं। उन्होनें प्रभाकर चौबे के लेखन पर कहा कि उनका आकलन, पूर्वावलोकन और आत्मावलोकन जबरदस्त था। प्रभाकर जी पहले पत्रों और फिर फोन के माध्यम से लगातार उनसे संपर्क बनाए रखते थे। राकेश ने प्रभाकर चौबे के साथ कमला प्रसाद और खगेन्द्र जी का जिक्र करते हुए कहा कि ये लोग प्रेमचंद के बाद प्रगतिशील आंदोलन की दूसरी पीढ़ी के वो समर्पित लोग थे, जिन्होंने संगठन की मजबूती और विस्तार के लिए पूरा जीवन लगा दिया। राकेश ने कहा कि प्रभाकर जी हमेशा अपने लेखन पर चर्चा से ज्यादा संगठन पर चर्चा करते थे।

वरिष्ठ कवि पथिक तारक ने भी प्रभाकर चौबे को याद करते हुए प्रगतिशील लेखक संघ से अपने जुड़ाव के लिए उन्हें याद किया। पथिक ने कहा कि सन 1980 के आसपास प्रभाकर चौबे और ललित सुरजन उनके छोटे से गांव कोमा आए और दिन भर उनके साथियों के साथ रहे। प्रभाकर चौबे का यह सानिध्य उनकी पूरी युवा साथियों के लिए प्रेरणादायी साबित हुई और यह उनके प्रगतिशील लेखक संघ से जुड़ने में महत्वपूर्ण साबित हुआ।

इस ऑनलाइन आयोजन में देश भर के कई प्रतिष्ठित रचनाकर एवं रंगकर्मियों ने शिरकत की। अंत में प्रभाकर चौबे फाउंडेशन की ओर से जीवश ने उषा आठले, दस्तक संवाद के संयोजक वरिष्ठ कवि अनिल करमेले, वरिष्ठ कथाकार उपन्यासकार रणेन्द्र, प्रगतिशील लेखक संघ के राष्ट्रीय सचिवमंडल सदस्य विनीत तिवारी, इप्टा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष राकेश एवं वरिष्ठ कवि पथिक तारक सहित जूम आयोजन में शामिल सभी प्रतिभागियों का आभार एवं धन्यवाद ज्ञापित किया।

राष्ट्रीय बैंक राष्ट्रीय निर्माण के संस्थान हैं, जन–विरोधी है बैंकों का निजीकरण

सी.एच. वेंकटाचलम

आगामी 19 जुलाई को हमारे देश के प्रमुख निजी स्वामित्व वाले बैंकों के राष्ट्रीयकरण के 54 साल पूरे होंगे। इस 19 जुलाई को 55वां बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस मनाया जाएगा। बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस मनाना हमारे लिए महत्वपूर्ण अवसर है, हमने बैंकों के राष्ट्रीयकरण को पाने की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है।

इस दूरदृष्टि के लिए एआईबीईए के संस्थापकों का धन्यवाद, एआईबीईए की समझ में यह मांग 1946 में इसकी स्थापना के समय से ही थी। एआईबीईए की स्थापना के दो दशकों से भी ज्यादा लंबे समय तक एआईबीईए ने इसके लिए प्रचार किया, आंदोलन किए और एक कडे संघर्ष के बाद एआईबीईए ने बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक मांग हासिल की। इस उपलब्धि का इसलिए जश्न मनाना है।

इस लड़ाई में एआईबीईए का मार्गदर्शन और प्रेरणा देने के लिए भाकपा और एटक की भूमिका को याद रखना जरूरी है। संसद के अंदर और बाहर कामरेड एस.ए. डांगे, कामरेड भूपेश गुप्ता, कामरेड एस.एम. बनर्जी, कामरेड ए.के. गोपालन, कामरेड एन.के. कृष्णन, कामरेड इन्द्रजीत गुप्त और अन्य कई इस मांग को उठा रहे थे। बेशक, प्रभात कार जो कि संसद में भाकपा की ओर से सांसद थे और एआईबीईए के महासचिव भी थे उन्होंने संसद में बैंकों के राष्ट्रीयकरण की मांग लगातार उठाई और बैंक कर्मचारियों के एक बड़े संघर्ष को खड़ा करने में अग्रणी भूमिका निभाई।

हमारे जैसे विकासशील अर्थव्यवस्था वालों देश में बैंक व्यवस्था विकास और वृद्धि को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। चूंकि सभी बैंक प्राइवेट क्षेत्र में थे और प्रमुख प्राइवेट बैंकों पर बड़े पूंजीपतियों का नियंत्रण और स्वामित्व था, उनका सरोकार केवल अपने मुनाफे से था और देश के हित की उन्हें कोई चिन्ता नहीं थी।

अर्थव्यवस्था के जरूरी हिस्सों और जरूरतमंद लोगों के लिए बैंक सेवाएं, खासतौर से बैंक ऋण सुविधा उपलब्ध नहीं थी। इस तरह से प्राइवेट बैंक पूंजीपतियों और औद्योगिक घरानों के लिए मात्र मुनाफा कमाने के साधन थे। इसलिए बैंकों को राष्ट्रीयकृत करने की देशभक्तिपूर्ण मांग उठी ताकि उन्हें व्यापक आर्थिक वृद्धि और विकास का सहायक बनाया जा सके।

इस मांग का, कइयों ने अव्यवहारिक कह कर, माजक उठाया, कुछ दूसरे को इस मांग पर संदेह था, औद्योगिक घराने, पूंजीपति और बैंक मालिक नाराज थे, सरकार इस मांग से नाखुश और कुपित थी। लेकिन एआईबीईए इस मांग पर लड़ने के लिए अडिग थी।

1964 के एआईबीईए के हमारे त्रिवेंद्रम सम्मेलन से एक भीषण संघर्ष की घोषणा की गई। कामरेड प्रभात कार और कामरेड परवाना ने दीर्घकालीन संघर्ष का आह्वान किया। बैंकों के राष्ट्रीयकरण की मांग के लिए देश भर में बैंक कर्मचारियों का आंदोलन अपने शिखर पर था।

1966 में, कांग्रेस पार्टी कई राज्यों में चुनाव में हारी क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र परेशानी में थे और लोगों का कांग्रेस पार्टी से विश्वास खत्म हो रहा था, इसलिए इंदिरा गांधी ने इन मुद्दों को हल करने का फैसला लिया, लेकिन इन प्रगतिशील उपायों का कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं ने विरोध किया।

1969 के आसपास कांग्रेस पार्टी में इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई के बीच समस्याएं बढ़ गई और इंदिरा गांधी ने कई प्रगतिशील निर्णयों की घोषणा की। इस स्थिति ने हमें अपनी मांग को आगे बढ़ाने के लिए राजनीतिक मैदान तैयार किया।

कम्युनिस्ट पार्टी, एटक और अन्य प्रगतिशील ताकतों ने हमारी मांगों को दोहराया।

कामरेड प्रभात कार 1957 से लेकर 1967 तक संसद सदस्य थे। वे संसद में हर मौके पर बैंक राष्ट्रीयकरण की मांग उठाते थे और अलग–अलग पार्टियों और सांसदों को इसका समर्थन करने के लिए लामबंद करते थे।

समय एकदम उपयुक्त था। इंदिरा गांधी ने निर्णय लिया और 19 जुलाई 1969 को उनकी सरकार ने इस अध्यादेश को लागू किया।

1969 के बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) विधेयक में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के उद्देश्य ओर कारणों को स्पष्ट किया गया है, जो कि इस प्रकार हैं:

''बैंक व्यवस्था लाखों के जीवन को छूती है और इसे व्यापक सामाजिक उद्देश्यों से प्रेरित होना चाहिए और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और ध्येयों जैसे कि कृषि, लघु उद्योगों और निर्यात के तीव्र विकास, रोजगार स्तरों को बढ़ाने, नए उद्यमों को प्रोत्साहित करने, और पिछड़े इलाकों के विकास में सहायक होना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए बैंकिंग सेवाओं के विस्तार और विविधता के लिए और बैंकिंग व्यवस्था के मूल भाग के संचालन के लिए सीधी जिम्मेदारी लेना सरकार के लिए जरूरी है।''

सरकार की बैंकों के राष्ट्रीयकरण की घोषणा से एआईबीईए की दूरदर्शित सच हुई, पूरे देश और सभी राजनीतिक पार्टियों ने इस प्रगतिशील कदम का स्वागत किया था। सिवाय स्वतंत्र पार्टी (जो कि अब अस्तित्व में नहीं है) और जन संघ (भाजपा का पूर्व नाम) को छोड़कर। इस तरह से एआईबीईए ने हमारे देश की राजनीतिक घटनाओं में एक स्वर्णिम अध्याय लिखा।

बैंकों के राष्ट्रीयकरण ने बैंक क्षेत्र का एक बड़े स्तर पर रूपांतरण किया। ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों की शाखाएं खोली गई। अब तक उपेक्षित रखे गए क्षेत्रों को प्राथमिकता देकर बैंक ऋण दिए गए। आम जनता का बैंकों तक पहुंच बनी। जनता को बैंकों में जमा पैसा सुरक्षित हुआ और गारंटी मिली। पांच दशकों के बाद, राष्ट्रीय बैंक हमारे देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने वाले मुख्य इंजन बन गए।

राष्ट्रीयकृत बैंकों की इतने बड़े पैमाने पर वृद्धि असाधारण रही है। लेकिन कार्पोरेट कंपनियों के दबाव में सरकार हमारे बैंकों का निजीकरण करना चाहती है और सरकारी बैंकों को पूंजीपतियों के हवाले करना चाहती है ताकि वे बैंकों में उपलब्ध जनता की बचत को लूट सकें। आज यह खतरा है।

जिस तरह से हमने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए लड़ा था, आज यह हमारा देशभक्तिपूर्ण कर्तव्य है कि हम अपने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की रक्षा करें और निजीकरण के प्रयासों को परास्त करने के लिए लड़ें। यह हमारा मुख्य कर्तव्य हैं। हमारे मुख्य मांगें हैं:

– सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को मजबूत करो एवं फैलाओ

– बैंका निजीकरण बंद करो

– सभी प्राइवेट बैंकों का राष्ट्रीयकरण करो।

– कार्पोरेट बैड लोन (नाचुकता ऋण) की वसूली करो

– जानबूझकर गबन करने वालों पर आपराधिक कार्यवाही करो

– हेयरकट्स, बैट्टेखाते डालना एवं रियायतों को बंद करो

– सेवा शुल्क कम करो।

– सहकारी बैंकों में 2 टायर सिस्टम लागू करो

– क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को प्रायोजक बैंकों में विलय करो।

– सभी बैंकों में पर्याप्त भर्ती करो

हमें बैंकों के निजीकरण के खिलाफ अपने प्रचार और संघर्ष को जारी रखना है; इन्हें जारी रखना चाहिए। हमें बैंकों का निजीकरण नहीं होने देना चाहिए और बैंकों को लालची कार्पोरेट कंपनियों के हवाले नहीं करना चाहिए। लोगों का पैसा लोगों के कल्याण पर लगाना चाहिए और कार्पोरेट लूट के लिए नहीं। राष्ट्रीय बचत का व्यापक राष्ट्रीय विकास के कामों में इस्तेमाल किया जाना चाहिए और राष्ट्रीय बचत प्राइवेट कार्पोरेट गबन करने वालों की लूट के लिए नहीं होनी चाहिए।

बैंकों की स्थिति	1969	2023
बैंक शाखाओं की संख्या	8200	87,000
ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों में बैंक शाखाओं की संख्या	शून्य	52,000
प्राथमिक सेक्टर ऋण	शून्य	40 प्रतिशत

	बैंकों में जमा धन	ऋण
15 अगस्त 1947	रु. 1019 करोड़	रु. 424 करोड़
1947	रु. 5000 करोड़	रु. 3,500 करोड़
2023	रु. 183 लाख करोड़	रु. 139 लाख करोड;

भाकपा ने मनाई कामरेड मोहम्मद कसीम की पुण्यतिथि

भाकपा ने कामरेड मोहम्मद कसीम की पुण्यतिथि मनायी और और उनके रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता महेन्द्र पासवान ने की और संचालन वरिष्ठ कम्युनिस्ट नेता जगनाराया सिंह विकल ने किया।

इस अवसर पर जिला मंत्री रामचंद्र यादव, पूर्व हसपुरा प्रमुख नागेश्वर यादव, सुरेश यादव, सत्येंद्र कुमार, नेता रामस्वरूप प्रसाद यादव, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता अखिलेश प्रसाद एवं इरफान अहमद फातमी शामिल हुए।

इस मौके पर नेताओं ने कसीम साहब की जिंदगी पर प्रकाश डाला। उनके व्यक्तित्व को और पार्टी जिंदगी को बताते हुए कहा कि आपको खाने से औरंगाबाद जिले में एक बहुत बड़ी क्षति हुई है। आज जब देश के अंदर फासिस्ट सांप्रदायिकता जब अपने

उफान पर मौजूद है ऐसे मौके पर कसीम साहेब के रहने से देश के धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने का संघर्ष मजबूत होता। उन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर कभी भी सांप्रदायवाद से समझौता नहीं किया। वे किसान मजदूरों के सवालों को लेकर अपनी पूरी जिंदगी संघर्ष करते रहे। उनके रहते पार्टी रफीगंज के अंदर एक हैसियत होती थी उसकी एक पहचान हुआ करती थी।

इसके अलावा तमाम नेताओं ने कामरेड मो. कसीम को याद करते हुए दोहराया कि रफीगंज के अंदर और जिले के अंदर वे सांप्रदायिक तनाव फैलाने वालों के खिलाफ लड़ते हुए आए थे और उनकी याद में हम भी लड़ते हुए रहेंगे। फासीवादी सांप्रदायकिता के इस माहौल में हम वास्तविक सवालों, बेरोजगारी, किसानों की बदहाली, मजदूर के अधिकार के सवालों को लगातार उठाते रहेंगे। उपस्थित लोगों ने कौमी एकता को बनाए रखने और सामाजिक सवालों को लगातार उठाते रहने का संकल्प दोहराया।

फिल्म निर्देशक बिमल रॉय की ऑल टाइम क्लासिक फिल्म 'दो बीघा जमीन' के सात दशक

धरती से फूटेगी मेहनत, फाका कश इंसानों की

जाहिद खान

भारतीय सिनेमा में बिमल रॉय का शुमार बाकमाल निर्देशकों में होता है। उन्होंने न सिर्फ टिकट खिड़की पर कामयाब फिल्में बनाई, बल्कि उनकी फिल्मों में एक मकसद भी हैं, जो फिल्मी मेलोड्रामा और गीत–संगीत के बीच कहीं ओझल नहीं होता। एक ऐसे दौर में जब हिंदी फिल्मों में धार्मिक और ऐतिहासिक विषयों का बोलबाला था, बिमल रॉय ने अपने आप को सिर्फ–ओ–सिर्फ सामाजिक और उद्देश्यपूर्ण फिल्मों तक सीमित किया। अपनी फिल्मों में किसान, मध्यवर्ग और महिलाओं के मुद्दों को अहमियत के साथ उठाया। बिमल रॉय यथार्थवाद और समाजवादी विचारधारा से शुरू से ही बेहद मुतास्सिर थे। इप्टा से जुड़े रहे वामपंथी ख्यालात के नगमा निगार शैलेन्द्र, संगीतकार सलिल चौधरी के साथ उन्होंने कई फिल्में कीं। जाहिर है इसका असर उनकी फिल्मों पर भी दिखाई देता है। बिमल रॉय की सबसे चर्चित फिल्म 'दो बीघा जमीन', इटली के नवयथार्थवादी सिनेमा खासतौर से विश्व प्रसिद्ध इतालवी निर्देशक वित्तोरियो द सिका की फिल्म 'बाइसिकिल थीव्स' से प्रभावित थी।

आज से सात दशक पहले साल 1953 में प्रदर्शित 'दो बीघा जमीन' एक यथार्थवादी फिल्म थी, जिसे व्यावसायिक तौर पर तो कामयाबी हासिल नहीं हुई, अलबत्ता अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस फिल्म की काफी सराहना हुई। यहां तक कि रूस, चीन, फ्रांस, स्विटजरलैंड आदि देशों में इस फिल्म का प्रदर्शन हुआ। फिल्म को कान्स और कार्लोवी वारी के अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में पुरस्कार से नवाजा गया। मौसीकार सलिल चौधरी की कहानी पर बनी इस फिल्म की स्क्रिप्ट जाने–माने निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी ने लिखी थी। जबकि फिल्म का नामकरण, रवीन्द्रनाथ ठाकुर की प्रसिद्ध कविता 'दुई बीघा जोमी' पर किया गया। फिल्म के गीत जनवादी गीतकार शैलेन्द्र और संगीत सलिल चौधरी का था। संवाद पॉल महेन्द्र ने लिखे। फिल्म 'दो बीघा जमीन' एक गरीब किसान शंभू महतो की अपनी दो बीघा जमीन को जमींदार से बचाने के जद्दोजहद की कहानी है। गोपीपुर गांव के जमींदार की जमीन से लगी हुई शंभू की दो बीघा जमीन है। इस पूरी जमीन पर जमींदार एक कारखाना बनाना चाहता है। शंभू से यह जमीन पाने के लिए वह पहले, तो उसे कई सब्जबाग दिखाता है, लेकिन जब शंभू उसके बहकावे में नहीं आता, तो जमींदार उससे अपने कर्ज की मांग रखता है। शंभू महतो अपनी इस जमीन को किसी भी कीमत पर नहीं खोना चाहता। लिहाजा जमींदार से कहता है कि वह उसका सारा कर्ज चुका देगा। लेकिन उसके पैरों के नीचे से उस वक्त जमीन खिसक जाती है, जब जमींदार 65 रुपए की बजाय उससे 235 रुपए आठाना का तकाजा करता है। मामला कचहरी तक पहुंच जाता है। अदालत का भी हुक्म होता है कि उसे यह कर्ज चुकाना ही होगा। कर्ज चुकाने के लिए, उसे तीन महीने की मोहलत मिल जाती है। शंभू महतो, जमींदार का कर्ज चुकाने के वास्ते महानगर कोलकाता पहुंच जाता है। अनजान शहर में वह जैसे तैसे रहने के लिए आसरा और एक काम ढूढता है। काम भी ऐसा कि दिन भर हाड़–तोड़ की मेहनत के बाद उसे कुछ पैसे नसीब होते हैं। हाथ रिक्शा चलाकर, वह कुछ पैसा जुटा भी लेता है कि इस बीच उसका एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट से वह उबर पाता कि इससे पहले उसकी पत्नी पारो भी एक कार दुर्घटना में बुरी तरह से घायल हो जाती है। उसे बचाने के लिए शंभू महतो

की सारी जमा पूँजी खर्च हो जाती है। जीवन से हताश–निराश शंभू महतो अपने गांव वापस लौटता है, तो देखता है कि उसकी गैर हाजिरी में जमीन पर एक बड़ा कारखाना बन गया है। उसका बूढ़ा बाप जमीन छिन जाने से पागल हो गया है। अपनी ही जमीन से जब शंभू एक मुट्ठी मिट्टी उठाता है, तो कारखाने का चौकीदार उसे चोर कहकर वहां से दुत्कार कर भगा देता है।

इस तरह से फिल्म 'दो बीघा जमीन' का अंत पूरी तरह से यथार्थवादी है। आज भी इस तरह के किस्से हमारे आसपास दिखलाई दे जाते हैं। जहां किसान अपना कर्जा न चुका पाने और जमीन बचाने के फेर में खुदकुशी तक कर लेते हैं। शंभू महतो के किरदार में बलराज साहनी ने लाजवाब अदाकारी की है। 'दो बीघा जमीन' दूसरी ऐसी फिल्म थी, जिसमें बलराज साहनी ने किसान का किरदार निभाया था। इससे पहले आजादी से एक साल पहले 1946 में आई 'भारतीय जन नाट्य संघ' यानी इप्टा की फिल्म 'धरती के लाल' में भी उन्होंने किसान का जीवंत एवं प्रभावशाली रोल किया था। उस वक्त बलराज साहनी, बीबीसी से अपनी अच्छी खासी ब्रॉडकास्टर की नौकरी को छोड़कर, लंदन से लौटे थे। शंभू महतो की भूमिका के लिए बिमल रॉय ने फिल्म में उन्हें बेमन से लिया था, लेकिन जब बलराज साहनी ने इस फिल्म के किरदार में अपने आप को ढाला, तो बिमल रॉय भी हैरान रह गए। फिल्म में रिक्शे वाले की भूमिका में हकीकत का रंग भरने के लिए उन्होंने बाकायदा रिक्शा चलाने का प्रशिक्षण लिया। रिक्शा चलाने वालों की जिंदगी को नजदीक से देखा।

फिल्म 'दो बीघा जमीन' एक तरफ किसान और उनकी जमीन के सवाल को प्रमुखता से उठाती है, तो दूसरी ओर औद्योगीकरण के बदनुमा चेहरे से पर्दा भी उठाती है। फिल्म बतलाती है कि विकास किस तरह से चंद लोगों के लिए समृद्धि लेकर आता है और लोगों की बड़ी तादाद हाशिए पर धकेल दी जाती है। सामंतवाद हो या फिर सरमायेदारी इनमें आखिर में पिसती आम अवाम ही है। शोषण का दुष्चक्र उन्हें कहीं नहीं छोड़ता। गांवों से शहरों की ओर जो पलायन हो रहा है, उसके पीछे एक बड़ी मजबूरी है। महानगरों में लोग बेहतर जिंदगी और ज्यादा कमाई की आस में जाते हैं, लेकिन वहां उनकी जिंदगी गांव से भी बदतर हो जाती है। फिल्म 'दो बीघा जमीन' में कई सीन प्रभावपूर्ण बन पड़े हैं। जिसमें एक सीन में शंभू महतो अपनी सवारी के कहने पर, दूसरे रिक्शे से मुकाबला करने के लिए, कोलकाता की सड़कों पर नंगे पांव तेज रफ्तार में अपना रिक्शा दौड़ाता है। इस होड़ में वह इतना तेज भागता है कि अपना संतुलन खो देता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। निर्देशक बिमल रॉय और सिनेमेटोग्राफर कमल बोस ने इसे शानदार फिल्माया है। यह सीन, हिंदी सिनेमा का सबसे यादगार सीन बन गया है। 'दो बीघा जमीन', किसानों के शोषण और उत्पीड़न के सवाल को गहरी संवेदनशीलता और ईमानदारी के साथ सामने लाती है। फिल्म में खास तौर पर बलराज साहनी के रोल की काफी तारीफ हुई। 'अमृत बाजार पत्रिका' में फिल्म की समीक्षा करते हुए एक समीक्षक ने लिखा,''बलराज साहनी के अभिनय में प्रतिभा का स्पर्श है।'' तो वहीं सोवियत संघ के एक फिल्मकार ने उनकी शानदार अदाकारी पर कहा,''बलराज साहनी के चेहरे पर एक संसार चित्रित है।''

'दो बीघा जमीन' में निर्देशक बिमल रॉय ने कोलकाता का कलात्मक फिल्मांकन किया है। फिल्म में कोलकाता शहर एक किरदार की तरह आया है। साल 1956 में जब वेनिस फिल्म समारोह में यह फिल्म दिखाई गई, तो पश्चिम के लोग कोलकाता शहर को देखकर हैरान हो गए। किसी फिल्म के जरिये एक शहर को देखना, उनके लिए एक नया तजुर्बा था। 'दो बीघा जमीन' में गीत–संगीत के लिए हालांकि बहुत कम गुंजाइश थी। फिर भी गीतकार शैलेन्द्र और संगीतकार सलिल चौधरी ने फिल्म की सिच्युएशन के हिसाब से मानीखेज गीत और संगीत दिया है। खास तौर पर 'हरियाला सावन ढोल', 'धरती कहे पुकार के' और 'अजब तोरी दुनिया ओ मोरे रामा'। गीत 'हरियाला सावन ढोल' का नृत्य निर्देशन गीतकार प्रेम धवन ने किया है। यही नहीं इस गीत में वे बाकी लोगों के साथ थिरकते भी दिखते हैं। सलिल चौधरी ने 'धरती कहे पुकार के' गीत की धुन रूस की रेड आर्मी के मार्चिंग सांग से मिलती–जुलती बनाई है। वहीं जनवादी गीतकार

शेष पेज 14 पर...

धरती से फूटेगी मेहनत, फाका कश...

पेज 13 से जारी...

शैलेन्द्र ने 'अजब तोरी दुनिया ओ मोरे रामा' गीत में अपनी जनपक्षधरता दिखाते हुए लिखा है,

परबत काटे सागर पाटे महल बनाए हमने

पत्थर पे बगिया लहराई फूल खिलाए हमने

हो के हमारी हुई न हमारी

अलग तोरी दुनिया हो मोरे रामा।

यह बतलाना भी लाजिमी होगा कि फिल्म 'दो बीघा जमीन' में इप्टा से जुड़े रहे अमर शेख, दशरथलाल और बिशन खन्ना आदि ने भी छोटी–छोटी भूमिकाएं की थीं। 'दो बीघा जमीन', वाकई निर्देशक बिमल रॉय की एक शाहकार फिल्म है। सेल्युलाइड के पर्दे पर उन्होंने जैसे एक संवेदनशील कविता लिखी है। हिंदी सिनेमा में इस फिल्म का हमेशा ऑल टाइम क्लासिक का दर्जा रहेगा। 'दो बीघा जमीन', वह फिल्म है जिससे हिंदी सिनेमा में नई धारा का उदय हुआ। हिंदी सिनेमा के आधार स्तंभों में से एक निर्माता–निर्देशक बिमल रॉय, आज भले ही हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी फिल्में खासतौर पर 'दो बीघा जमीन' को कोई भुला नहीं पाएगा। सात दशक पहले, अपनी इस फिल्म के जरिए उन्होंने जो किसानों और उनकी जमीन के सवाल उठाए थे, उनका जवाब आज भी मुल्क के कर्णधारों के पास नहीं है। खेती–किसानी, किसानों के लिए दिन–पे–दिन घाटे का सौदा बनती जा रही है। ज्यादातर जगह वे किसान से खेतिहर मजदूर बनकर रह गये हैं। आज गांवों में भले ही पहले की तरह साहूकार और जमींदार नहीं हैं, लेकिन उनकी जगह जिस कॉर्पोरेट फार्मिंग और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ने ली है, वह उनसे भी खतरनाक हैं। उनके इरादे और भी ज्यादा खतरनाक। किसानों से उनकी जमीन और उपज को बेचने का अधिकार छीनकर, ये अदृश्य ताकतें किसानों को अपना बंधुआ मजदूर बनाना चाहती हैं।

मशहूर शायर–नगमा निगार साहिर लुधियानवी की साल 1945 में माहनामा 'अदब ए लतीफ' में एक नज्म 'कल और आज' शाए हुई थी। यह नज्म 78 साल पहले जितनी मौजू थी, आज इसकी प्रासंगिकता उससे भी कहीं ज्यादा है,

बस्ती पर बादल छाये हैं, पर यह बस्ती किस की है?

धरती पर अमृत बरसेगा, लेकिन धरती किस की है?

हल जोतेगी खेतों में अल्हड़ टोली दहकानों की

धरती से फूटेगी मेहनत, फाका कश इंसानों की

फसलें काट के मेहनतकश गेहूं के ढेर लगायेंगे

जागीरों के मालिक आकर सब पूंजी ले जायेंगे

बूढे दहकानों के घर बनिये की कुर्की आयेगी

और कर्जे के सूद में कोई गोरी बेची जायेगी

आज भी जनता भूखी है और कल भी जनता तरसी थी

आज भी रिमझिम बरखा होगी, कल भी बारिश बरसी थी।

मुक्ति संघर्ष पढ़िए

चन्दे की दर:

वार्षिक	: 350 रूपये
अर्द्धवार्षिक	: 175 रूपये
एक प्रति	: 7 रूपये
एजेंसी डिपोजिट	
प्रति कापी	: 70 रूपये

खाता नाम: **मुक्ति संघर्ष वीकली**
बैंक: **सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, प्रेस एरिया ब्रांच**
चालू खाता संख्या: **1033004704**
आईएफसी कोड: **सीबीआईएन0280306**

कापी मगाने के लिये लिखें:
व्यवस्थापक: मुक्ति संघर्ष साप्ताहिक
अजय भवन, 15–का. इन्द्रजीत गुप्ता मार्ग
नयी दिल्ली–110002

नोट: डीडी और चेक केवल ''मुक्ति संघर्ष साप्ताहिक'' के नाम होना चाहिए।

पी.पी.एच. पब्लिकेशन

पुस्तक	लेखक	मूल्य
1. भारतीय दर्शन में क्या जीवंत है और क्या मृत	देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय	500.00
2. बाल जीवनी माला	कॉपरर्निकस	12.00
3. बाल जीवनी माला	निराला	12.00
4. बाल जीवनी माला	रामानुज	12.00
5. बाल जीवनी माला	मेंडलिफ	50.00
6. बाल जीवनी माला	प्रेमचंद	50.00
7. बाल जीवनी माला	सी.वी. रमन	50.00
8. बाल जीवनी माला	आइजक न्यूटन	50.00
9. बाल जीवनी माला	लुईपाश्चर	50.00
10. बाल जीवनी माला	जगदीश चन्द्र बसु	50.00
11. फैज अहमद फैज–शख्स और शायर	शकील सिद्दीकी	80.00
12. फांसी के तख्ते से	जूलियस फ्यूचिक	100.00
13. कितने दोबाटिक सिंह भारत विभाजन की दस कहानियां	भूमिका: भीष्म साहनी	60.00
14. मार्क्सवाद क्या है?	एमिल बर्न्स	40.00
15. फैज़ अहमद फ़ैज़: प्रतिनिधि कविताएं	संप श्री अली जावेद	60.00
16. दर्शन की दरिद्रता	कार्ल मार्क्स	125.00
17. हिन्दू पहचान की खोज	डी.एन. झा	100.00
18. प्राचीन भारत में भौतिकवाद	देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय	200.00
19. 'जब मैंने जाति छिपायी थी' तथा अन्य कहानियां	बाबुराव बागुल	200.00
20. बाल–हृदय की गहराइयां माँ–बाप और शिक्षकों से अंतरंग बातचीत	वसीली सुखोम्लीन्स्की	350.00
21. चीन की पुरस्कृत कहानियां भाग–1, 2		185.00
22. बच्चों सुनो कहानी	लेव तोलस्तोय	175.00
23. जहां चाह वहां राह–उज़बेक लोक कथाएं		360.00
24. हीरेमोती–सोवियत भूमि की जातियों की लीक कथाएं		300.00
25. दास्तान–ए–नसरूदीन	लियोनिद सोलोवयेव	370.00
26. लेनिन–क्रुप्स्काया (संस्मरण)	क्रुप्स्काया	485.00
27. साम्राज्यवाद, पूंजीवाद की चरम अवस्था	लेनिन	65.00
28. बिसात–ए–रक्स	मख़दूम	100.00
29. भारतीय समाज का ऐतिहासिक विश्लेषण	भगवत शरण उपाध्याय	100.00
30. राहुल निबंधावली (साहित्य)	राहुल सांकृत्यायन	90.00
31. मैं नास्तिक क्यों हूं	भगत सिंह	75.00
32. विवेकानंद सामाजिक–राजनीतिक विचार	विनोय के. राय	75.00
33. रामराज्य और मार्क्सवाद	राहुल सांकृत्यायन	60.00
34. कम्युनिस्ट पार्टी का घोषणा पत्र	मार्क्स एंगेल्स	50.00
35. भगत सिंह की राह पर	ए.बी. बर्धन	15.00
36. माटी का लाल–कृति पुरूष कामरेड दुर्जन भाई	डा. रामचन्द्र	110.00
37. क्या करें	लेनिन	80.00
38. मेक इन इंडिया –आंखों में धूल	सी. मुरलीधर, एम. सत्यानन्द	30.00
39. भारतीय इतिहास में जाति और मुद्रा	इरफान हबीब	40.00
40. वर्ग जाति आरक्षण और जातिवाद के खिलाफ संघर्ष	ए.बी. बर्धन	60.00

आर्डर भेजें:
पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस (प्रा.) लिमिटेड
5–ई, रानी झांसी मार्ग
नई दिल्ली–110055
दूरभाष: 011–23523349, 23529823
ईमेल: pph5e1947@gmail.com
https//pphbooks.net

दिल्ली के शोरूम
जी–18, आउटर सर्कल, कनाट प्लेस
नई दिल्ली–110001, फोन: 23324064
पीपीएच बुकशॉप, जेएनयू सेंट्रल लाइब्रेरी के पास,
नई दिल्ली–110 067, फोन: 65447645
पीपीएच शॉप, अजय भवन
15, कामरेड इन्द्रजीत गुप्त मार्ग, नई दिल्ली–2

नोट: आप भेज सकते हैं:
चेक, ड्राफ्ट या इलेक्ट्रानिक मनिआर्डर ''पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस (प्रा.) लिमिटेड'' के पक्ष में
बैंक विवरण:
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट: 32074674284, आई.एफ.सी. कोड: SBIN0009371

हैदराबाद: नियमित किए जाने एवं पेंशन के लिए एएनएम–एनएचएम का धरना

राम नरसिम्हा राव

एटक के तत्वावधान में तेलंगाना के स्वास्थ्य विभाग के राज्य कमिश्नर के कार्यालय के सामने एएनएम (आक्जिलियरी नर्स मिडवाईफ) के द्वारा 10 जुलाई को एक धरने को संबोधित करते हुए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव एवं पूर्व विधायक के. संबाशिव राव ने कहा कि जो एएनएम और नेशनल हेल्थ मिशन के अन्य कर्मचारी पिछले 16 साल से कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के तौर पर काम कर रहे हैं, उनकी सेवाओं को नियमित किया जाना चाहिए। धरने में शामिल कर्मचारी सेवा में नियमित किए जाने और सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन की मांग कर रहे थे। धरने का नेतृत्व टी. रामान्जनेयुलु कर रहे थे।

तेलंगाना में एएनएम को सेकेंड एएनएम कहा जाता है। इस नाम से ही उनके प्रति भेदभाव का पता चलता है। राज्य में सभी कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी भेदभाव का शिकार हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि जो कर्मचारी अनेक वर्षों से काम करते आ रहे हैं और जिन्होंने कोविड महामारी के मुश्किल समय में भी अनथक काम किया, उन्हें नियमित किया जाना चाहिए। एएनएम और एनएचएम, दोनों की समान योग्यता है, दोनों ही समान काम करते हैं, तो फिर उनके वेतन एवं अन्य पारिश्रामिकों में अंतर का क्या औचित्य?

उन्होंने चिंता व्यक्त की कि 20–25 वर्ष काम करने के बाद भी ये कर्मचारी सेवानिवृत्ति के बाद खाली हाथ अस्पतालों से जाते हैं, न उन्हें पेंशन मिलती है और न कोई अन्य सेवानिवृत्ति लाभ। यह उनके साथ अन्याय है। सुप्रीम कोर्ट अनेक बार फैसले कर चुका है कि यदि कोई कर्मचारी बिना कोई ब्रेक लिए एक वर्ष में 240 दिन से अधिक काम कर लेता है तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी की सेवा को नियमित किया जाना चाहिए। भारत के संविधान में समान काम के लिए समान वेतन की बात कही गई है। अतः कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी को समान काम करने के बावजूद नियमित कर्मचारी से कम वेतन देना संविधान की इस व्यवस्था के विरूद्ध है। केंद्र एवं राज्य सरकारों को इस संबंध में ध्यान देना चहिए और एएनएम एवं एनएचएम की सेवाओं को नियमित करना चाहिए, उन्हें वही वेतन दिया जाना चाहिए जो नियमित कर्मचारियों को मिलता है और उन्हें पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ मिलने चाहिएं।

धरने को संबोधित करते हुए राज्य सभा सदस्य आर. कृष्णैया ने कहा कि जब एएनएम और एनएएच ने अपने कम वेतन एवं अपनी दयनीय हालत के बारे में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री हरीश राव से गुहार लगाई तो उन्होंने कहा कि यदि उन्हें अपना वेतन कम लगता है तो काम छोड़कर चले जाएं। कृष्णैया ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री का यह बर्ताव अपमानजनक है, इसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए।

धरने को संबोधित करते हुए एटक के तेलंगाना राज्य महासचिव नरसिम्हा मोट्टे ने कहा कि यदि एएनएम एवं एनएचएम की मांगें 15 दिन में नहीं मानी जाती तो आंदोलन तेज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उन्हें हर महीने 40 हजार रुपए वेतन मिलना चाहिए, उनका 10 लाख रुपए का बीमा होना चाहिए, दुर्भाग्य से यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाए तो 10 लाख रुपए के मुआवजे के अलावा मृतक के परिवार के एक सदस्य को अनुकम्पा आधार पर काम दिया जाना चाहिए। वे 16 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं, 36 किस्म के रिकॉर्ड एवं18 मोबाइल ऐप रखते हैं। उनके साथ न्याय किया जाना चाहिए। एएनएम– एनएचएम यूनियन की अध्यक्ष बेदती वनजा, महासचिव जी. मधुरिमा, संगठन सचिव सी. विजया, उपाध्यक्ष मंजुला के अलावा पुष्पलता, प्रवीणा, शारदा, स्वप्ना, चंद्रकला, तुलसी, अरूणा, सरला, संगीता आदि ने धरने का नेतृत्व किया।

स्वतंत्रता सेनानी कामरेड अब्दुल हई की जयन्ती पर विचार गोष्ठी

हथीनः निकटवर्ती गांव घुड़ावली में 7 जुलाई को स्वतंत्रता सेनानी कामरेड अब्दुल हई की 117वीं जयन्ती पर गांव में स्थित उनकी मजार पर विचार गोष्ठी आयोजित की गई। गोष्ठी की अध्यक्षता अखिल भारतीय शहीदाने मेवात सभा के अध्यक्ष सरफूदीन ने की और संचालन भाकपा की हरियाणा राज्य कौंसिल के सदस्य अजीज मोहम्मद ने किया।

भाकपा के राज्य सचिव दरियाव सिंह कश्यप ने कहा कि स्वतंत्रता सेनानी अब्दुल हई ने देश की आजादी में अतुलनीय योगदान दिया, उन जैसे स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा दिये गए बलिदानों, कुर्बानियों के चलते हम आजादी की सांस ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम उनके ऋणी हैं और हमें स्वतंत्रता सेनानियों को आज भी याद करने और उनके दिखाए रास्ते पर चलने का संकल्प लेना चाहिए। आल इंडिया तंजीम ए इंसाफ के राष्ट्रीय महासचिव डाक्टर अब्दुल अली खान ने महान स्वतंत्रता सेनानी कामरेड अब्दुल हई के जीवन पर विस्तार से चर्चा करते हुए कहा कि उन्होंने देश की आजादी के आंदोलन में भाग लिया और देश को आजाद कराने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। डाक्टर खान ने कहा कि अब्दुल हई ने आजादी के बाद मेवात के मुसलमानों को पाकिस्तान जाने से रोकने में भूमिका अदा की। आजादी के तुरंत बाद मेवात के मुसलमानों पर हुए सम्प्रदायिक हमलों के खिलाफ अब्दुल हई ने मेवात से लेकर दिल्ली तक आवाज बुलंद की। उन्होंने कहा कि यह अब्दुल हई ही थे, जो तत्कालीन भाकपा महासचिव कामरेड पी सी जोशी के सहयोग से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को दंगाग्रस्त मेवात में लेकर आये और मेवात की मुस्लिम आबादी को पाकिस्तान जाने से रोकने में कामयाबी हासिल की। डाक्टर खान ने कहा कि आज केन्द्र व राज्य की भाजपा सरकारें नागरिकों के रोजी, रोटी, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जैसे ज्वलंत मुद्दों को हल करने के बजाए मेहनतकश जनता की एकता को तोड़ने के लिए उल–जुलूल तिकड़में कर रही है। उन्होंने कहा कि आज अब्दुल हई जैसे महान स्वतंत्रता सेनानियों के रास्ते पर चलते हुए देश की एकता, अखंडता की रक्षा के लिए जन जागरण अभियान चलाने की आवश्यकता है। गोष्ठी में अब्दुल हई के पुत्र मेजर (रिटायर) उस्मान, डाक्टर सुभान खां, किसान नेता मुज्जफफर अहमद, मास्टर महेन्द्र सिंह मितरोल, रुप राम जनाचोली, मुस्लिम मोहम्मद, मोहम्मद आजाद आदि ने भी कामरेड अब्दुल हई को याद किया और उनके विचारों को जनता में प्रचारित प्रसारित करने का संकल्प दोहराया।

समान नागरिक संहिता के पीछे भाजपा–आरएसएस...

पेज 1 से जारी...

ड्राफ्ट संविधान की धारा 35 (अब धारा 44) पर संविधान सभा में बहस हो रही थी तो डॉ. अम्बेडकर ने संविधान निर्माताओं की पोजीशन को अत्यंत सुस्पष्ट कर दिया था। जब कुछ मुस्लिम सदस्यों ने समान नागरिक संहिता पर आशंकाएं व्यक्त की तो उन्होंने व्यक्तिगत कानून के विकास के पीछे के इतिहास को विस्तारपूर्वक बताया और कहा कि ''शुरूआती चरण में संहिता को लागू किया जाना शुद्धतः स्वैच्छिक हो सकता है'' जिसमें इशारा था कि यह कानून विकसित किया जाए और थोपा न जाए।

लिंग न्याय के प्रश्न पर आरएसएस एवं अन्य कट्टरपंथी संस्थाओं और वामपंथ की पोजीशन के बीच अंतर उल्लेखनीय है। जिस समय उसका विरोध करते हुए आरएसएस समर्थित संस्थाएं संसद का घेराव कर रही थी, हिन्दू कोड बिल का समर्थन करते हुए संसद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रो. हीरेन मुखर्जी कह रहे थे कि ''बेटे और विधवा के साथ–साथ बेटी को भी उत्तराधिकारी बनाए जाने का श्रीगणेश सचमुच ही अत्यंत महत्व की बात है और इसके लिए न केवल महिलाएं बल्कि समाज के तमाम प्रगतिशील एवं लोकतांत्रिक तबके काफी समय से आंदोलन करते रहे हैं''। जिस समय शाहबानो फैसले को उलटने के लिए संसद ने कानून बनाया, जो मुस्लिम महिलाओं के लिए अलाभकर था, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता गुरूदास दासगुप्ता ने संसद में इसका जबर्दस्त विरोध किया और धर्म को कानून बनाने का मापदंड मानने के खिलाफ बोलते हुए कहा कि ''जब धर्म को कानून बनाने का आधार बनाया जा रहा है तो इससे संविधान की जड़ों पर और भारतीय गणतंत्र की बुनियाद पर ही चोट हो रही है''। भाजपा के अनेक नेता सती प्रथा के समर्थन का शर्मनाक रवैया अपना चुके हैं। लिंग न्याय के संबंध में वामपंथी पोजीशन हमेशा एक न्यायसम्मत एवं समान समाज के पक्ष में रही है। परंतु डॉ. अम्बेडकर जब हिन्दू समाज में सुधार लाने की बात कर रहे थे तो आरएसएस ने उनका विरोध किया और आज अल्पसंख्यकों को और अधिक बदनाम करने की एक चाल के तौर पर लिंग न्याय का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है।

जो कानून धर्म से अपनी शुचिता प्राप्त करते हैं वे प्रायः समाज में महिलाओं के हितों के विरूद्ध काम करते हैं। हमारे धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणतंत्र में कानून बनाने का आधार भी धर्मनिरपेक्ष और जनता परस्त होना चाहिए। राज्य के धर्मनिरपेक्ष चरित्र की मर्यादा रखते हुए, भेदभावपूर्ण कानूनों और विभिन्न धर्मों एवं समुदायों में चल रहे भेदभावपूर्ण रिवाजों की जड़ों पर ही चोट करने के लिए एक सर्वसहमति पर पहुंचने की आवश्यकता है। जैसे कि डॉ. अम्बेडकर ने सुझाव दिया, इस सर्वसहमति को विकसित करना होगा, इसे थोपा नहीं जाना चाहिए। जहां तक लिंग न्याय की बात है आरएसएस का रिकॉर्ड अत्यंत खराब है।

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की संसद सदस्य गीता मुखर्जी ने संसद और विधान सभाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए महिला आरक्षण बिल का सूत्रपात किया और अंततः 2010 में राज्य सभा ने उसे पारित किया। लिंग न्याय के प्रति मोदी का सरोकार इतना है कि पिछले नौ सालों के उनके शासन में वह बिल प्रकाश में भी नहीं आया। अभी हाल के दिनों में, यौन उत्पीड़न के खिलाफ विरोध करती महिला पहलवानों को दिल्ली पुलिस ने जिस तरह सड़कों पर घसीटा, वह हाल की ही बात है और जनता को अच्छी तरह याद है। ऐसे कई उदाहरण हैं जब भाजपा ने बलात्कारियों को बचाया। महिला अधिकारों के रक्षा के संबंध में जिसका इस तरह का ट्रैक रिकॉर्ड है, जब वह समान नागरिक संहिता लाती है तो भाजपा के इरादे पर सवाल उठना स्वाभाविक है।

समान नागरिक संहिता राज्यनीति के निर्देशक सिद्धांतों का एक अकेला निर्देश नहीं है। संविधान का अध्याय चार राज्य को यह जिम्मेदारी सौंपने से शुरू होता है कि वह ऐसी सामाजिक व्यवस्था को प्रोत्साहन देगा ''जिसमें न्याय–सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय'' मुख्य बात होगा। राज्यनीति के निर्देशक सिद्धांत आमदनी में असमानता के खात्मे, उद्योगों के प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी और काम के अधिकार की बात भी कहते हैं। इन प्रगतिशील बातों को प्रधानमंत्री बड़े मजे से अपनी नजर से ओझल कर देते हैं जबकि वह और आरएसएस इको–सिस्टम संविधान के राज्यनीति के निर्देशक सिद्धांतों की आड़ लेकर अपने कुटिल एजेंडे को छुपाने की कोशिश करता है। जैसे कि पहले कहा गया कि मोदी की तमाम नाटकबाजी का मकसद समाज का ध्रुवीकरण करना है, इसका लिंग न्याय से कोई वास्ता नहीं। मोदीराज के नौ साल का नतीजा चंद लोगों के हाथ में धन–दौलत के संकेंद्रण, जाति पदानुक्रम के और मजबूत होने और महिलाओं के दमन के रूप में निकला है।

मुक्ति संघर्ष

साप्ताहिक 16 – 22 जुलाई, 2023

Delhi Postal Regd. No. DL(C)-01/1277/2021-23
Licenced to Post without Pre-payment. U(C)-102/2021-23
(R.N.I. No. 20196/70) Posted in LPC, DRMS, Friday & Saturday

प्रकाशन तिथि: 14.7.2023

वाम सांसदों का मणिपुर दौरा

संयुक्त राजनीतिक पहल: समय की जरूरत

बिनोय विश्वम

लोग मणिपुर को भारत का रत्न कहते हैं। बाद में सरकार ने भी इस शब्द का इस्तेमाल अपने विज्ञापन होर्डिंग्स को सजाने के लिए किया। मणिपुर का इतिहास, संस्कृति, कलाएं समय के साथ विकसित हुई इस विकास में लोगों ने अपनी भूमिका अदा की। इस सुन्दर जनसांख्यिकी संख्या के रूप में मेइती, कुकी और नागा समुदायों से आबादी बनती है, मेइती समुदाय की संख्या सबसे बड़ी है। इसके बाद कुकी और नागा की संख्या है, ये अभी जीवन की विषम परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं, पहले वे शांति और सद्भाव के साथ रहते थे। इसका अर्थ यह नहीं है कि अतीत में इनके बीच कोई विवाद और टकराव नहीं थे। जब भी अतीत में इस तरह की घटनाएं घटी तब राजनीतिक प्रयासों और उनके स्वयं की बुद्धिमानी ने उन विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने और एक साथ आगे बढ़ने में मदद की। जब भी मणिपुर की जनता ने अपने सामाजिक–सांस्कृतिक जीवन में रंगों को दर्ज किया वह इस सामान्यता की अनुभूति थी जिसने उनके लिए रास्ता बनाया, उस मणिपुर का आज अस्तित्व नहीं है। लोगों की प्रत्येक उपलब्धि को भाजपा की विभाजनकारी नीतियों द्वारा चकनाचूर कर दिया गया।

मणिपुर और केन्द्र में भाजपा सरकार ने मणिपुर की जनता को पूरी तरह निराश किया है और उन्हें शांतिपूर्ण संपन्न जीवन के अधिकार से वंचित किया है। यह आरएसएस के मास्टर प्लान के साथ शुरू हुआ। आरएसएस ने सामरिक रूप से महत्वपूर्ण भारत के उत्तर–पूर्व में अपना नियंत्रण स्थापित किया है। दिल्ली स्थित भाजपा नेतृत्व ने असम को अपनी पकड़ में लेने के बाद छल–बल से मणिपुर हासिल कर लिया। 2017 के चुनाव में, भाजपा ने कोशिश की और विधानसभा में बहुमत हासिल करने में नाकामयाब रही। लेकिन दिल्ली से राजनीतिक मदद के साथ और विशाल धनबल से वे विधायकों को खरीद सके और एक बनावटी बहुमत बना सके जिसके माध्यम से पांच सालों तक वहां शासन किया। 2022 के चुनाव में, भाजपा ने अपने हाथ मेइती और कुकी के कंधों पर रखा और विधानसभा में संतोषजनक संख्या पूरी करने के लिए अपनी सभी आम तरकीबों का इस्तेमाल किया। मेइती और कुकी दोनों ही उनकी बांटों और राज्य करो की दीर्घकालीन रणनीति को समझ नहीं सके, जब आरएसएस और भाजपा ने अपने आपरेशन शुरू किए तो मणिपुर की जनता को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। भाजपा शासन में मणिपुर में, बाकी अन्य जगहों की तरह, जीवन संकट अपने उबाल पर था, बेरोजगारी का मुद्दा, मूल्यवृद्धि, भूमि और विकास के मुद्दे मणिपुर की आबादी को ललकार रहे थे। आरएसएस की विचारधारा का अनुसरण करते हुए, भाजपा सरकार धूर्तता से मेइती और कुकी दोनों को कह रही थी कि 'दूसरा' (अदर, अन्य) तुम्हारी कठिनाइयों के लिए जिम्मेदार है और 'वे' तुम्हारे दुश्मन हैं। आदिवासी दर्जा और आदिवासी अधिकारों को इस तरह तैयार किया गया कि जिसके कारण समुदाय में अविश्वास हो गया। 3 मई को जो हुआ वह इस अविश्वास का विस्फोट था।

यह केवल शुरूआत थी, 3 मई की मुठभेड़ों, आगजनी और गोलीबारी के बाद पूरे राज्य की हालत बदतर हो गई। घाटी में इंफाल के बाद, चुड़चन्द्रपुर और पहाड़ियां अनवरत द्वन्द्व के केन्द्र बन गए हैं। हिंसा विष्णुपुर, तंगनौपल और कांगपोकपी तक फैल गई है। मेइती और कुकी समुदाय दोनों के अतिवादी तत्व हत्याओं और आगजनी में आगे थे जो कि अक्सर इस तरह के व्यापक दंगों में होता है।

आरएसएस–भाजपा के आर्शीवाद से शासक मंडली की सुनियोजित योजना के अनुसार शुरू की गई हिंसा के पीड़ित गरीब, मासूम और अशक्त हैं। वाम सांसदों का प्रतिनिधि दल राहत शिविर में मासूम लोगों के करुणामयी दृश्यों का गवाह बना। कैम्प चाहे कुकी के हों या मेइती के दु:ख एक सा था। कैंपों में औरत, आदमी, बूढ़े, जवान हजारों की संख्या में हैं (मणिपुर के सूचना और जनसंपर्क मंत्री के अनुसार 50,648 लोग 349 राहत शिविरों में हैं लेकिन वास्तविक संख्या कहीं ज्यादा है। संभवत: उन्हें भूख लगने पर खाने के लिए मिल रहा होगा। लेकिन जीने की स्वस्थ परिस्थितियों–स्वास्थ्य सुविधाओं, सफाई, सेनीटरी पैड्स, बच्चों के लिए समुचित पोषण का अभाव है। सरकार इन कैम्पों को ''राहत शिविर' कहती है, लेकिन किसी के लिए इन कैम्पों के अनुभव 'शरणार्थी शिविर' जैसे हो सकते हैं जहां लोगों को अपने देश की शरणार्थी की तरह जीने के लिए विवश किया गया है। कई चर्चों, मंदिरों, घरों को जलाकर रख कर दिया गया।

जिन चर्चों, मंदिरों, घरों को हमने देखा और वहां आसपास लोग अपनी आंखों की ज्वलंत चिंता से हमें देख रहे थे। ये सभी दृश्य अविश्वास और रोष के स्तर की गवाही हैं जो कि नस्लीय घृणा का स्वभाविक नतीजा है जिसे शासक किसी भी हद तक तूल देने में सफल रहे हैं। आज मणिपुर की दुखभरी हालात को देखने और जानने से भारत के लोगों का पूछना स्वभाविक है ''सरकारें कहां हैं केन्द्र और राज्य दोनों की'' एक वाकपटु नेता द्वारा बोले गए झूठ के रूप में लोग मणिपुर में उच्चतम शासन और न्यूनतम सरकार के नारे के साथ केवल शून्य सरकार देख सकते हैं। इस दौरान 52 इन्च छाती और लंबी जीभ वाला वह नेता 'मौनी बाबा' बना हुआ है। पिछले कई महीने से विस्फोटक परिस्थिति से गुजरते सीमावर्ती इलाके में फैले व्यापक संकट पर वह एक शब्द भी नहीं बोला। इस पूर्ण राजनीतिक निक्रियता से केन्द्र और राज्य में सरकारी विभाग पूरी तरह शक्तिहीन हो गए हैं। मणिपुर चिल्ला रहा है? सरकार की असफलता के बारे में जिसके कारण लोग विपत्ति और अनिश्चितता से जूझ रहे हैं। मणिपुर संकट का यदि कोई मुख्य रूप से दोषी है, वह दोषी भाजपा नीत सरकार होगी।

कोई सरकार कैसे अपने क्षेत्र में फैल रहे गंभीर सामाजिक–जातीय–राजनीतिक हिंसा पर इस तरह की बचकाना प्रतिक्रिया कर सकती है? यहां तक भाजपा कैडरों के लिए भी इसका जवाब देना मुश्किल होगा। राज्य की इस हिंसात्मक स्थिति पर भारत में अमरीका के राजदूत एरिक गारकेट्टी अपने एक बयान में मणिपुर संकट के 'समाधान' के लिए भाजपा को अमरीका की मदद देने की बात कहते हैं। यह वक्तव्य भारत के लोगों से भारत में सरकार की निष्क्रियता का और समर्थन के लिए अमरीकी पेशकश का सहयोगी बनने की अपील करता है। दुनिया भर में अमरीका ने जहां कहीं भी हस्तक्षेप किया वहां उन्होंने केवल हालत को और बिगाड़ा। मणिपुर राज्य में हिंसा के संबंध में भाकपा और वाम एक दाम स्पष्ट हैं कि किसी भी तरह अमरीका को इस संकट में शामिल करके हालत को और खराब नहीं करना चाहिए। नरेन्द्र मोदी की आत्मनिर्भर सरकार को निकट या दूर भविष्य में मणिपुर का अपना खेल का मैदान बनाने की किसी भी तरह की विदेशी कोशिशों को रोकने का साहस होना चाहिए।

मणिपुर में दौरे के दौरान वाम सांसदों ने मेइती और कुकी समुदाय के आम लोगों, बुद्धिजीवियों, नागर समाज संगठनों, पंडितों, पादरियों के साथ बातचीत की। इस परिस्थिति पर उनकी समझ एक सी नहीं है। लेकिन वे अपने अनुभव एक आवाज में दोहरा रहे हैं कि सरकार विफल रही है। वे सभी मुख्यमंत्री पद से बिरेन सिंह का इस्तीफा चाहते हैं। मणिपुर संकट का अध्ययन हमें बताएगा कि इस हिंसा का संबंध जमीन और उसके नीचे की संपत्ति के साथ गहरे से जुड़ा है। मणिपुर की पहाड़ियों कई तरह के प्राकृतिक संसाधनों से भरपुर है। यह क्षेत्र आदिवासी अधिकारों से संरक्षित है। अधिकांशतया कुकी वहां अतिप्राचीन काल से अपने आदिवासी रिवाजों और प्रथाओं के साथ रह रहे है। यह सच है कि घाटी में आबादी के बढ़ने के कारण भूमि की कमी है। वे आम मेइती जनता जो कि आदिवासी दर्जे की मांग कर रहे हैं वे केवल जमीन के एक टुकड़े का सपना देख रहे हों। लेकिन वहां राजनीतिक ताकतों और कार्पोरेट जगत के दोस्ताना पूंजीपतियों के लिए वहां की खनिज संपदा और वनों को लूटने की दुष्ट योजनाएं हैं। लोभ के लिए प्रतिबद्ध दिल्ली और इंफाल में बैठी सरकार और उनके 'कार्पोरेट भतीजों' को लगता है कि उनका समय आ गया है। बांटने और राज करने की नीति के पीछे अंधकार की सभी ताकतों ने मणिपुर को आग पर रख दिया है। केवल एक सम्मलित राजनीतिक पहल, जनता की भागीदारी मणिपुर को बचा सकती है।

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से डी. राजा द्वारा BFL Infotech Ltd. (Media Division), C-9, Sector-3, Noida, Dist. Gautam Budh Nagar, UP द्वारा मुद्रित, अजय भवन, 15–कामरेड इन्द्रजीत गुप्ता मार्ग, नई दिल्ली–110 002 से प्रकाशित। **संपादक**: रणबीर सिंह यादव फोन: 011–2323 0762 फैक्स 91–011–2323 5543.
e-mail: newagemukti@gmail.com, Layout: Udai Bhan Rajbhar.